fcgkj l j dkj]

f’k{kk foHkkx

çfronu 2011&12 dk;Øe 2012&13

f'k{kk foHkkx

संविधान की धारा 21 ''क'' के अंतर्गत 6–14 आयुवर्ग के बच्चों की शिक्षा उनका मौलिक अधिकार हो गया है। साथ ही ''बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009'' दिनांक 1 अप्रैल, 2010 से लागू हो गया है। राज्य के अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र में संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के सफल संचालन के लिए शिक्षा विभाग के पूरे ढांचे में परिवर्तन कर उसे पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाया गया है। शिक्षा से संबंधित सभी कार्यों को समेकित रूप से लागू करने के लिए जिले में एक जिला शिक्षा कार्यालय की स्थापना की गयी है।

प्रारंभिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा राज्य योजना के अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान के अलावा मुख्यमंत्री समग्र विद्यालय विकास योजना, मुख्यमंत्री शैक्षिक परिभ्रमण योजना, मुख्यमंत्री पोशाक योजना आदि कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। विद्यालयों में आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने के साथ–साथ शिक्षकों का नियोजन अभियान चलाकर बड़े रूप में किया गया है।

राज्य में प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने हेतु राज्य शैक्षिक गुणवत्ता मिशन की स्थापना की गई है। इस गुणवत्ता मिशन के अंतर्गत ^^le>&lh[kß नाम से एक विस्तृत कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है जिसके 20 मुख्य सूचक राज्य में गुणवतापूर्ण प्रारम्भिक शिक्षा को सुनिश्चित कराने की दिशा में कारगर साबित हो रहे हैं।

उपर्युक्त प्रयासों से 6 से 14 आयुवर्ग के लगभग 98-35 प्रतिशत बच्चे विद्यालयों में नामांकित हुए हैं और विद्यालय से बाहर के बच्चों में काफी कमी आई है। विद्यालय से बाहर के बच्चों के लिए विभिन्न तरह के सेतु कार्यक्रम चलाये गये हैं। ऐसे सेतु कार्यक्रम में उत्थान केन्द्र, तालिमी मरकज, उत्कर्ष–केन्द्र आदि प्रमुख हैं।

राज्य में 19,303 नये प्रारंभिक विद्यालय स्थापित किये गये हैं एवं उनके भवन निर्माण का कार्य भी प्रगति में हैं। विद्यालय निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता के लिए लोगों से भी भूमि दान करायी गयी हैं। राज्य में प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय के लिए कम से कम 5 कमरों के भवन एवं प्रत्येक मध्य विद्यालय के लिए 10 कमरों के भवन के साथ शौचालय एवं पेय जल की व्यवस्था, खेल मैदान एवं उसकी चहारदीवारी का लक्ष्य रखा गया है।

प्रारंभिक विद्यालयों में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए 'मीना मंच' एवं 'बाल संसद' का गठन किया गया है। साथ ही, मध्य विद्यालय की हर बालिका को आत्मरक्षार्थ जूडो–कराटे में प्रशिक्षित करने की कार्रवाई भी की जा रही है।

राज्य स्तर पर बच्चों के शैक्षिक मनोरंजन एवं उनके चतुर्दिक विकास के लिए स्थापित fcgkj cky Hkou ^fdydkjh' का कार्यालय अपने नव निर्मित भवन में स्थानांतरित हो गया है। इस संस्था द्वारा पटना के शहरी क्षेत्र के गरीब बच्चों की प्रतिभा के विकास के लिए बड़ी संख्या में अभिवंचित वर्ग के बच्चों को खेलकूद, पेंटिंग, गीत, संगीत आदि का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। क्षेत्रीय स्तर पर प्रत्येक प्रमंडल में बिहार बाल भवन 'किलकारी' की स्थापना हेतु कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गयी है।

माध्यमिक शिक्षा मे बढ़ते दबाब के कारण माध्यमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण का निर्णय लिया गया है। राज्य में माध्यमिक विद्यालयों की कमी है। अतः वित्तरहित शिक्षा

नीति को समाप्त करते हुए निजी प्रबंधन में चल रहे शैक्षणिक संस्थानों को सरकार के द्वारा अनुदान दिया जा रहा है।

बड़ी संख्या में वैसे मध्य विद्यालय जिनके पास पर्याप्त भूमि है और उनके 5 किलोमीटर की दूरी में माध्यमिक विद्यालय नहीं है उन्हें माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित किया जा रहा है। इससे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से वर्ग–8 की पढ़ाई पूरी करनेवाली बच्चियों को आगे पढ़ने का मौका मिलेगा। प्रत्येक प्रखंड में गरीब बच्चियों की माध्यमिक शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए एक बालिका छात्रावास की स्थापना की जा रही है। प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में कम्प्यूटर शिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कम्प्यूटर कक्ष की स्थापना के साथ–साथ कम्प्यूटर शिक्षक उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

वर्ग– 9 में सरकारी विद्यालयों में पढ़नेवाले सभी बच्चों को साईकिल के क्रय के लिए वर्त्तमान वित्तीय वर्ष से 2500 रूपये की दर से राशि उपलब्ध करायी जा रही है।

उच्च शिक्षा के विकास के लिए महाविद्यालयों में आधारभूत संरचना को सुदृढ़ किया जा रहा है। प्रत्येक अंगीभूत महाविद्यालय में पुरूष एवं महिलाओं के लिए अलग–अलग शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है। परीक्षाओं के कारण महाविद्यालयों में पठन–पाठन बाधित नहीं हो, इस उद्देश्य से प्रत्येक जिले के एक महाविद्यालय में परीक्षा भवन का निर्माण कराया जा रहा है।

महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में कम्प्यूटर एवं इंटरनेट के प्रयोग से वर्चुअल वर्ग–कक्ष निर्माण की एक योजना कार्यान्वित की जा रही है। चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय आदि बिहार के भविष्य में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

शिक्षा विभाग द्वारा प्रति वर्ष 11 नवम्बर को f'k{kk fnol एंव 22 मार्च को fcgkj fnol का आयोजन भव्य रूप से किया जाता है।

i kjfHkd f'k{kk dh oŸkeku fLFkfr

(क) fo|ky;k dh l[;k & 71,086

(i)	प्राथमिक विद्यालय	–	41,407
	सरकारी	–	41,325
	सहायता प्राप्त	–	82
(ii)	मध्य विद्यालय	–	29,288
	सरकारी	–	28,313
	सहायता प्राप्त	–	975
(iii)	बुनियादी विद्यालय	–	391

ukV % इसके अन्तर्गत 19,303 नवस्थापित प्राथमिक विद्यालयों की संख्या सम्मिलित है।

(ख) cPpk dh l[;k ,o ukekdu

(i) राज्य में 6–14 आयु वर्ग के कुल बच्चों की संख्या – 2,13,25,767

(ii)	विद्यालयों में नामांकित बच्चों की संख्या	–	2,09,73,436
(iii)	सरकारी विद्यालयों में नामांकित बच्चों की संख्या	–	1,97,09,692
(iv)	विद्यालय से बाहर (अनामांकित) बच्चों की संख्या	–	3,52,331
(v)	विद्यालय से बाहर (अनामांकित) बालिकाओं की संख्या	–	1,71,594
(vi)	विद्यालय से बाहर (अनामांकित) अनु0 जाति बच्चों की संख्या	–	1,25,491
(vii)	विद्यालय से बाहर (अनामांकित) अल्पसंख्यक बच्चों की संख्या	–	82,401

(ग) शkf{kd fLFkfr

(i)	सकल नामांकन अनुपात	–	98.34
(ii)	छीजन दर (I से V)	–	6.00
(iii)	छीजन दर (VI से VIII)	–	5.54
(iv)	छात्र शिक्षक अनुपात (स्वीकृत पद के विरूद्ध)	–	39:1
(v)	छात्र शिक्षक अनुपात (कार्यरत पद के विरूद्ध)	–	58:1

çkFkfed ,o o;Ld f'k{kk

ikFkfed f'k{kk d vrxr fd; x; e[; dk; fuEukfdr g&

- ''बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009'' के कार्यान्वयन हेतु "बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली–2011" का गठन करते हुए उसे दिनांक–12.05.2011 को अधिसूचित किया गया।

- मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के वर्ग–1 (एक)/प्रारंभिक कक्षाओं में समाज के कमजोर एवं अलाभकारी समूह के बच्चों के नामांकन हेतु 25 प्रतिशत कोटा के अन्तर्गत वर्ष 2011 में 3228 बच्चों का नामांकन किया गया है। राज्य सरकार द्वारा इन बच्चों पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु लगभग ₹ 1,00,00,000/– (एक करोड़ रूपये) जिलों को आवंटित किये गये हैं।

- राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में बच्चों के नामांकन के लिए कैपिटेशन फीस (Capitation fee) नहीं लेने तथा बच्चों या उसके माता–पिता/अविभावक को किसी भी स्क्रीनिंग प्रक्रिया से नहीं गुजारने हेतु निदेश निर्गत किया गया है। नामांकन लॉटरी/रैण्डम पद्धति के आधार पर करने का निदेश दिया गया है।

- राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया गया है। मार्च 2012 तक परीक्षा का परिणाम घोषित होने की सम्भावना है।

- शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार प्रत्येक टोला के लिए पड़ोस के विद्यालयों को निर्धारित करने, बच्चों के नामांकन हेतु जन्म प्रमाण पत्र के अभाव में वैकल्पिक अभिलेख लेने, बच्चों को शारीरिक दण्ड नहीं देने, एक शैक्षणिक वर्ष में पढाई के लिए न्यूनतम शैक्षणिक दिवसों एवं घण्टों के निर्धारण के संबंध में निर्देश निर्गत किये गये हैं एवं तदनुसार कार्रवाई की जा रही है।

- अवर शिक्षा सेवा (प्राथमिक शाखा) के 49 पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है।
- राज्य के प्रत्येक प्रारम्भिक विद्यालय में तदर्थ विद्यालय शिक्षा समिति के गठन की कार्रवाई की गयी है।
- प्रारम्भिक विद्यालयों के जिला संवर्ग के शिक्षकों की प्रोन्नति की प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु ''बिहार प्रारम्भिक शिक्षक प्रोन्नति नियमावली, 2011'' अधिसूचित की गई है।
- माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार राज्य में 34540 शिक्षकों की नियुक्ति की कार्रवाई के अंतर्गत लगभग 30000 प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की गयी है।

jkT; ;kstuk d vUrxr lapkfyr e[; ;kstuk,¡

e[;e=h ik'kkd ;kstuk

मुख्यमंत्री पोशाक योजना के अन्तर्गत राजकीय/राजकीकृत/सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक विद्यालय सहित) प्रारंभिक विद्यालय के वर्ग III-V में नामांकित प्रत्येक छात्र छात्राओं को ₹ 500/– नगद प्रदान किया जाता है। इस राशि से दो सेट स्कूल पोशाक तथा एक जोड़ी जूते एवं राशि की बचत होने की स्थिति में स्टेशनरी का क्रय छात्र–छात्राओं/उनके माता पिता द्वारा किया जाता है। जो छात्र छात्राएँ पहले ही पोशाक तैयार करा लेते हैं, उन्हें भी पूरी राशि हस्तान्तरित की जाती है। यह योजना वर्ष 2009–10 से संचालित है। वित्तीय वर्ष 2011–12 में 8772800 छात्र–छात्राओं हेतु ₹ 43864.00 लाख राशि जिलों को उपलब्ध करा दी गयी है।

वर्ग 1 एवं 2 के सभी बालिका एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति /गरीबी रेखा से नीचे के श्रेणी के सभी बालक को सर्व शिक्षा अभियान के तहत ₹ 400/– की दर से राशि उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही वर्ग 6 से 8 के अनुसूचित जाति /जनजाति एवं गरीबी रेखा के नीचे के छात्रों को भी सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत हीं ₹ 400/– के दर से राशि उपलब्ध कराया जा रहा है।

e[;e=h ckfydk ik'kkd ;kstuk

इस योजना अन्तर्गत राजकीय/राजकीयकृत/सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक विद्यालय सहित) प्रारंभिक विद्यालय के वर्ग VI-VIII में नामांकित प्रत्येक छात्र–छात्राओं को पोशाक एवं शिक्षण सामग्री हेतु ₹ 700/– की दर से नगद राशि विद्यालय शिक्षा समिति के माध्यम से उपलब्ध करायी जाती है। इस राशि से प्रत्येक छात्र–छात्रा को दो सेट स्कूल पोशाक तथा एक जोड़ी जूते एवं राशि की बचत होने की स्थिति में स्टेशनरी का क्रय छात्र–छात्राओं/उनके माता पिता के द्वारा किया जाता है। किसी छात्र–छात्रा द्वारा अगर इन समाग्रियों का क्रय पहले ही कर लिया जाता है तो भी उन्हें पूरी राशि हस्तानन्तरित कर दी जाती है। यह योजना वित्तीय वर्ष 2008–09 से संचालित है। वित्तीय वर्ष 2011–12 में 2065660 छात्राओं हेतु ₹ 14459.62 लाख राशि जिलों को उपलब्ध करा दी गयी है।

'k{kf.kd ifjHke.k

छात्र–छात्राओं को अपने राज्य के ऐतिहासिक, भौगोलिक एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थलों, धरोहरों एवं विरासतों की जानकारी एवं जागरूकता प्रदान करने हेतु राज्य सरकार ने शैक्षणिक परिभ्रमण की व्यवस्था की है। यह राज्य के सभी प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालयों के छात्र–छात्राओं के प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर ज्ञानार्जन की दिशा में एक रचनात्मक मनोवैज्ञानिक प्रयास है।

इस योजना के कार्यान्वयन हेतु प्रत्येक विद्यालय की शिक्षा समिति के बैंक खाते में प्रति वर्ष ₹ 10,000/– की राशि हस्तान्तरित कर दी जाती है। विद्यालय शिक्षा समिति बैठक आयोजित कर छात्र–छात्राओं का समतुल्य अनुपात में चयन कर, उनकी योग्यता, अभिरूचि आदि के आधार पर शैक्षणिक परिभ्रमण का प्रति वर्ष आयोजन करती है। वित्तीय वर्ष 2011–12 में गैर योजना मद से इस योजना हेतु ₹ 2872.40 लाख जिलों को उपलब्ध कराया गया है।

fcgkj cky Hkou ^^fdydkjh^^

बिहार बाल भवन 'किलकारी' एक ऐसा परिसर है जिसमें बच्चों को सभी सुविधा उपलब्ध कराया जाता है जिससे वे घर या स्कूल में वंचित रह जाते हैं। बिहार बाल भवन 'किलकारी' का स्वरूप मनोरंजन एवं शैक्षणिक केन्द्र के रूप में विकसित किया गया है। बाल भवन के द्वारा बच्चों को मनोरंजन एवं उनके स्वभाव के अनुरूप सृजनात्मक क्षमता के विकास के लिए विभिन्न विधाओं का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

बिहार बाल भवन 'किलकारी' में प्रत्येक वर्ष माह अप्रैल से बच्चों का निबंधन किया जाता है। इस वर्ष अब तक 746 बच्चों का निबंधन किया जा चुका है। निबंधित बच्चे अपनी अभिरूचि के अनुसार नियमित रूप से विभिन्न विधाओं योग, शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय संगीत, सृजनात्मक लेखन, लोकनृत्य, नाटक, चित्रकला, हस्तकला, खेलकूद इत्यादि में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं।

वर्ष 2011 में शास्त्रीय संगीत, लोक गीत एवं सुगम संगीत में 50–60 बच्चों ने नियमित रूप से भाग लिया। लगभग 60 बच्चों ने चित्रकला का प्रशिक्षण लिया। लोक एवं पाश्चात्य नृत्य में इस संस्था के 20 बच्चों के ग्रुप ने भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय बाल रंग महोत्सव में भाग लिया। इसके अतिरिक्त नाटक, कराटे, शारीरिक प्रशिक्षण एवं विभिन्न खेलकूद में बच्चों की अच्छी भागीदारी देखने को मिली। 'किलकारी' द्वारा इस वर्ष ग्लास पेंटिग कार्यशाला, बाल किलकारी अखबार कार्यशाला, कार्टून कार्यशाला, कठपुतली कार्यशाला, राखी निर्माण कार्यशाला, पेंटिंग कार्यशाला का आयोजन किया गया।

दिनांक 26 से 28 नवम्बर, 2011 को तीन दिवसीय बाल ओलम्पियाड का आयोजन पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में सफलता पूर्वक किया गया। लगभग 6 हजार बच्चों ने इस महाकुंभ में भाग लिया।

वित्तीय वर्ष 2012–13 में बिहार बाल भवन 'किलकारी' द्वारा बाल दिवस नवम्बर में, बाल ओलम्पियाड नवम्बर एवं दिसम्बर में, बिहार बाल श्री सम्मान चयन कार्यक्रम जून में, गुल्लक (बच्चा बैंक) महोत्सव दिसम्बर में, समर कैम्प जून में एवं राष्ट्रीय बाल रंग महोत्सव मार्च में आयोजित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त 'किलकारी' द्वारा विभिन्न दिवसों एवं कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा।

dUn çk;kftr ;kstuk d: vUrxr lpkfyr e[; ;kstuk

वर्तमान में प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा के अन्तर्गत निम्न कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है :–

- सर्व शिक्षा अभियान (SSA)
- बालिकाओं की प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPEGEL)
- कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय (KGBV)
- मध्याह्न भोजन योजना (MDM)

lo f'k{kk vfHk;ku

सर्व शिक्षा अभियान देश में प्रारंभिक शिक्षा के गुणवत्तापूर्ण सार्वजनीकरण हेतु एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। राज्यों की भागीदारी से 6–14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने के संवैधानिक दायित्व को पूरा करने का यह एक ऐतिहासिक प्रयास है। इस कार्यक्रम में स्त्री–पुरूष असमानता तथा सामाजिक विभेद को पाटकर प्रारंभिक शिक्षा को लोक–आधारित बनाते हुए एक मिशन के रूप में स्थापित करने की परिकल्पना की गयी है। बिहार राज्य के 17 जिलों में सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम वर्ष 2001–02 में लागू किया गया तथा वित्तीय वर्ष 2002–03 से यह राज्य के सभी जिलों में लागू है।

इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए स्वीकृत योजना के लक्ष्य के विरूद्ध दिसम्बर, 2011 तक की वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि निम्नवत् है :–

foÙkh; miyfC/k ¼o"kZ 2011&12½

¼₹ yk[k esa½

;kstuk	okf"kZd ctV ¼2011&12½	izkjfEHkd miyC/k jkf'k ¼Opening Balance½	fuf/k izkfIr			dqy O;;	miyC/k fuf/k dh fo:) izfr'kr O;;
			Hkkjr ljdkj	fcgkj ljdkj	dqy		
lo f'k{kk vfHk;ku	108312.79	130600.598	174308.94	94250.00	268558.98	314323.27	76.00%
,u-ih-bZ-th-bZ-,y-	4704.19	9976.965	0.00	0.00	0.00	451.36	9.59%
dh-th-ch-Hkh-	24518.68	15911.133	0.00	0.00	0.00	7196.97	29.35%
dqy	**1112343.66**	**156488.697**	**174308.98**	**94250.00**	**268558.98**	**321971.60**	**84.44%**

Lko f'k{kk vfHk;ku dh vUrxZr egRoiw.kZ Hkkfrd miyfC/k %&

- वित्तीय वर्ष 2011–12 तक स्वीकृत कुल 21419 नये प्राथमिक विद्यालय के लक्ष्य के विरूद्ध 19303 (90%) नये प्राथमिक विद्यालय खोले गये हैं।
- वित्तीय वर्ष 2011–12 तक स्वीकृत कुल 20182 प्राथमिक विद्यालयों के मध्य विद्यालय में उत्क्रमण के लक्ष्य के विरूद्ध 18410 (91%) प्राथमिक विद्यालयों को मध्य विद्यालय में उत्क्रमित किया गया हैं।
- सर्व शिक्षा अभियान योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010–11 तक स्वीकृत कुल 318804 शिक्षक ईकाई के विरूद्ध 191983 शिक्षकों का नियोजन किया जा चुका है।

- इसके अतिरिक्त राज्य सरकार की रिक्ति के विरूद्ध 66104 शिक्षकों का नियोजन किया हैं।
- नये शिक्षकों की नियुक्ति के परिणाम स्वरूप छात्र–शिक्षक अनुपात 58:1 हो गया है।
- छात्र–शिक्षक अनुपात को बेहतर करने हेतु इस वित्तीय वर्ष में सर्व शिक्षा अभियान के तहत कुल 1,02,837 नई शिक्षक इकाई स्वीकृत की गई है। इन शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा सम्पन्न कराई जा चुकी है, जिसके आधार पर इन पदो को भरा जाएगा।
- वर्ग 1–8 तक पढ़ने वाले राज्य के 18600234 बच्चों (93%) को पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध करायी जा चुकी है।
- बिहार के 391 बुनियादी विद्यालयों में से 372 बुनियादी विद्यालयों में तीन कमरे, बालक एवं बालिकाओं के लिए अलग–अलग शौचालय एवं एक चापाकल का निर्माण कराया गया है।
- असैनिक कार्य के तहत वित्तीय वर्ष 2011–12 में स्वीकृत योजनाओं का लक्ष्य एवं उपलब्धि का विवरण निम्नवत् हैः–

Ø- l-	fooj.k	;kstukvksa dh v|ru fLFkfr ¼31 fnlEcj] 2011½				
		HkkSfrd y{;	iw.kZ	fuekZ.kk/khu	iw.kZ ¼%½	izxfr'khy ¼%½
1.	अतिरिक्त वर्ग कक्ष (सीढ़ी सहित)	25471	0	9121	0%	36%
2.	अतिरिक्त वर्ग कक्ष (सीढ़ी रहित)	51222	0	19975	0%	39%
3.	शौचालय (शहरी)	688	12	240	2%	35%
4.	बालिका शौचालय	15000	1802	13198	12%	88%
5.	चापाकल (शहरी)	123	20	59	16%	48%
6.	प्रधानाध्यापक कक्ष	8129	14	2671	0%	33%
7.	आवासीय विद्यालय निर्माण	2	0	0	0%	0%
8.	रैम्प	11246	0	150	0%	1%
9.	निःशक्त बच्चों के लिए शौचालय	8695	6	160	0%	2%
dqy %&		**120576**	**1854**	**45860**	**2%**	**38%**

- राज्य के प्रत्येक मध्य एवं प्राथमिक विद्यालयों में कम से कम क्रमशः 10 एवं 6 कमरे उपलब्ध कराने के राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में अतिरिक्त कमरों का निर्माण कराया जा रहा है।
- सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अभिसरण से प्रत्येक विद्यालय में दो शौचालय (एक बालिका के लिए अनिवार्य) का निर्माण कराया जा रहा है। राज्य के 68%

विद्यालयों में कॉमन शौचालय की सुविधा उपलब्ध है एवं 45% विद्यालयों में लड़कियों के लिए अलग से शौचालय उपलब्ध है।

- वित्तीय वर्ष 2007–08 के प्रारंभ में लगभग 21 लाख बच्चे विद्यालय से बाहर थे जिनकी संख्या इस वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में घटकर लगभग 3 लाख 52 हजार रह गया है।
- वित्तीय वर्ष 2010–11 अन्तर्गत विद्यालय से बाहर के 4,26,259 बच्चों को आच्छादित किया गया।
- विद्यालय से बाहर के बच्चों को आच्छादित करने के लिए पूर्व से संचालित गतिविधियों के अतिरिक्त दो नई गतिविधियाँ यथा– विद्यालय से बाहर के मुस्लिम बच्चों के लिए ßrkfyeh ejdt Þ (4296 तालिमी मरकज केन्द्रों में 91658 बच्चों का नामांकन) एवं महादलित के बच्चों के लिए ßmRFkku dUnÞ (19712 उत्थान केन्द्रों में 561221 बच्चों का नामांकन) प्रारंभ किया गया है।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान कर ,fyedk के सहयोग से सहाय्य उपकरणों का वितरण प्रत्येक वर्ष शिविर आयोजित कर किया जाता है।
- लगभग 19423 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सहाय्य उपकरण उपलब्ध कराये गए।
- इन प्रयासों के फलस्वरूप 2 लाख 42 हजार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का नामांकन विद्यालय में कराया गया ।
- निःशक्त बच्चों के लिए 1144 Resource Teachers का चयन किया गया है।
- राज्य के 38 जिलों में निःशक्त बच्चों के लिए संसाधन केन्द्र स्थापित किये गये हैं, जो सभी आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित हैं।
- संकुल संसाधन स्तर पर 1807 केयर गिभर का चयन किया गया है।
- राज्य के छः जिलों यथा खगड़िया, सारण, गया, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर एवं समस्तीपुर में एयर मोल्ड प्रयोगशाला संचालित है और अभी तक 2150 निःशक्त बच्चों को इसके द्वारा लाभान्वित किया जा चुका है।
- 3–6 आयुवर्ग के बच्चों को पूर्व बालपन शिक्षा प्रदान करने हेतु विद्यालय परिसर में 5100 बालवर्ग की स्थापना की जा चुकी है। इन केन्द्रों में 297205 बच्चे नामांकित हैं । इन केन्द्रों का संचालन माता समिति/विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा किया जाता है ।
- वर्ष 2011 में राज्य/जिला स्तरीय कार्यालयों हेतु 220 प्रोफेशनल की नियुक्ति की गई है।
- 375 संकुल मध्य विद्यालयों को कंप्यूटर आधारित शिक्षा हेतु कंप्यूटर एवं उसके सहायक उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं जिसके लिए 391 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है तथा लगभग 1,00,188 बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं । बी०एस०ई०डी०सी० के सहयोग से 244 मध्य विद्यालयों में कंप्यूटर आधारित शिक्षा प्रारम्भ की गयी है, जिससे लगभग 90,000 बच्चे लाभान्वित हो रहें हैं।
- राज्य के 497 प्रखंडों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से प्रखंड सूचना केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं ।
- सभी विद्यालयों मे बाल भवन द्वारा संकलित कविता संकलन 'धम्मा चौकड़ी' वितरित किया गया।

- इस वित्तीय वर्ष तक 1,52,221 अप्रशिक्षित शिक्षकों को दूरस्थ शिक्षा के तहत इग्नू द्वारा प्रशिक्षण हेतु नामांकित किया गया हैं। अब तक राज्य के मॉड्यूल–I, मॉड्यूल–II एवं मॉड्यूल–III के अन्तर्गत क्रमशः 94652, 37285 एवं 22015 शिक्षक सफलता प्राप्त कर चुके हैं।
- राष्ट्रीय विज्ञान सूचना केन्द्र के सहयोग से राज्य के सभी प्रारंभिक विद्यालयों की GIS Mapping करायी जा रही है एवं अभीतक 34,471 विद्यालयों की GIS Mapping का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
- निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु 'शिक्षा अधिकार यात्रा' के नाम से एक राज्यव्यापी जागरूकता अभियान चलाया गया है, जिसके तहत अभी तक 20 जिलों के कुल 4,666 पंचायत आच्छादित किये जा चुके हैं।

ckfydkvk dh ikjfHkd f'k{kk d fy, jk"Vh; dk;Øe dh miyfC/k;k

National Programme for the Education of Girls at Elementary Level (NPEGEL)

- बालिकाओं के लिए अतिरिक्त गतिविधियों के आयोजन हेतु कुल स्वीकृत 3778 अतिरिक्त कक्ष के लक्ष्य के विरूद्ध 3276 अतिरिक्त कक्ष निर्माण किया जा चुका है तथा 285 कक्ष निर्माणाधीन है।
- 21238 संकुलों में 'मीना मंच' का गठन किया जा चुका है।
- ^guj* कार्यक्रम के तहत सर्वप्रथम नामांकित 13764 अल्पसंख्यक समूह की बालिकाओं में से लगभग 9988 सफल बालिकाओं को विभिन्न व्यवसायिक ट्रेडों के लिए टूल्स खरीदने हेतु jkT; ljdkj द्वारा ^vktkj* कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, जिसके तहत प्रत्येक सफल बालिका के बैंक खाते में ₹ 2500/– की राशि स्थानान्तरित की जा रही है। इस योजना से अब तक 9232 बालिकाएँ लाभान्वित हो चुकी हैं।
- guj&II (चरण–I) के तहत वित्तीय वर्ष 2011–12 में 12,251 बालिकाओं का प्रशिक्षण पूर्ण हुआ है तथा हुनर–II (चरण– II) के तहत 37,754 बालिकाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है।

dLrjck xk/kh ckfydk fo|ky; ;ktuk dh miyfC/k;k

- इस योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 तक कुल 535 विद्यालयों की स्वीकृति दी गई है। वर्त्तमान में 463 कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय संचालित है।
- राज्य में महिला समाख्या, विद्यालय शिक्षा समिति एवं सक्षम गैर–सरकारी संस्थाओं द्वारा क्रमशः 97, 268 एवं 98 कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय संचालित है।
- दिसम्बर, 2011 तक कुल 248 कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों के भवन का निर्माण पूर्ण हो चुका है एवं 175 भवन निर्माणाधीन हैं।
- कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय में कुल 42,369 [अनु॰जाति–18,788 (44%), अनु॰ जनजाति–2579 (6%), अन्य पिछड़ा वर्ग–11522 (27%), मुस्लिम अल्पसंख्यक–6156 (15%) एवं अन्य–3324 (8%)] बालिकाएँ नामांकित है।

➲ कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय की बालिकाओं के लिए भारतीय जीवन बीमा के माध्यम से समूह बीमा का लाभ प्रारम्भ किया गया है। इस योजना से अब तक 25222 बालिकाएँ लाभान्वित हो चुकी है।

e/;kà Hkkstu ;kstuk

विद्यालयों में छीजन रोकने, नामांकित बच्चों का ठहराव सुनिश्चित करने एवं बच्चों को कुपोषण से बचाने के उद्देश्य से 1 जनवरी, 2005 से राज्य के सरकारी विद्यालय, सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय, मदरसा, मकतब एवं संस्कृत विद्यालय में वर्ग I-V में पढ़ने वाले सभी छात्र/छात्रा को, 1 मार्च, 2008 से राज्य के सरकारी विद्यालय, सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय, मदरसा, मकतब एवं संस्कृत विद्यालय में वर्ग VI-VIII में पढने वाले सभी छात्र/छात्रा को एंव वित्तीय वर्ष 2010–11 से बाल श्रमिक विद्यालयों में नामांकित छात्र/छात्राओं को गरमा गरम मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।

सभी सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के मध्याह्न भोजन योजना का अलग बैंक खाता सी0बी0एस0 ब्रांच में खुलवाया गया है। वित्तीय वर्ष 2011–12 से एडवाईस के माध्यम से सीधे विद्यालयों को परिवर्त्तन मद की राशि का हस्तानान्तरण प्रारम्भ किया गया है।

खाद्यान्न की कालाबाजारी पर अंकुश लगाने हेतु अधिकृत संवेदक एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/प्रखंड साधन सेवी के संयुक्त हस्ताक्षर से खाद्यान्न का उठाव किये जाने का प्रावधान किया गया है। साथ ही, संवेदक द्वारा खाद्यान्न का उठाव कर उसी दिन विद्यालयों में वितरण की प्राप्ति रसीद (कुल खाद्यान्न/खाद्यान्न की गुणवत्ता/प्रति बोरे का वजन सहित) प्रभारी प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर से लिये जाने का प्रावधान किया गया है।

योजना की अनुश्रवण प्रणाली को सशक्त बनाने हेतु Online Monitoring System के माध्यम से प्रतिवेदन की प्रविष्टि कराने हेतु मध्याह्न भोजन योजना का Web Application विकसित कराया गया है। Online डॉटा प्रविष्टि का दायित्व प्रखंड साधन सेवी को दिया गया है। प्रखंड साधन सेवी के अपने प्रखंड अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय का निरीक्षण प्रत्येक माह में एक बार करना तथा अद्यतन प्रतिवेदन प्राप्त करना अनिवार्य किया गया है। Web Application esa Multi Report creation की व्यवस्था Basic Data के आधार पर किये जाने की सुविधा भी सुनिश्चित की गई है। प्रतिदिन विद्यालयों में संचालित मध्याह्न भोजन योजना की अद्यतन स्थिति से अवगत होने हेतु IVRS (Interactive Voice Response System) लागू किया जा रहा है। इस व्यवस्था के माध्यम से प्रतिदिन विद्यालयों में अध्ययनरत् बच्चों द्वारा मध्याह्न भोजन करने के उपरांत दूरभाष के माध्यम से अद्यतन स्थिति यथा नामांकित बच्चों की संख्या, उपस्थित बच्चों की संख्या, आच्छादित बच्चों की संख्या की सूचना एकत्र करने का प्रावधान है।

निदेशालय से प्रखंड स्तर तक की अनुश्रवण प्रणाली को व्यवस्थित एवं प्रभावी बनाने हेतु राज्य से प्रखंड स्तर तक मासिक समीक्षात्मक बैठक एवं नियमित निरीक्षण राज्य स्तर/जिला स्तर/प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कराया जाता है। यह सारी प्रक्रिया और मध्याह्न भोजन का संचालन विद्यालय शिक्षा समिति के माध्यम से किया जाता है ताकि इसमें पारदर्शिता बनी रहे।

मध्याह्न भोजन योजना के दैनिक अनुश्रवण हेतु 1 अप्रैल 2012 से IVRS लागू करने का निर्णय लिया गया है जिसके द्वारा अन्य सूचनाओं के अतिरिक्त मध्याह्न भोजन से लाभान्वित होने वाले बच्चों से संबंधित आँकड़ों को प्रतिदिन प्राप्त किया जा सकेगा।

foÙkh; o"k 2011&12 dh miyfC/k

- वित्तीय वर्ष 2011–12 के प्रथम 9 माह में प्रतिदिन औसत वर्ग I-V के 68,44,511 छात्र/छात्रा तथा वर्ग VI-VIII के 20,65,399 छात्र/छात्रा को गरमा गरम मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2011–12 में प्रत्येक विद्यालय को वर्ग I-V के छात्र/छात्रा के लिए प्रति छात्र/छात्रा प्रतिदिन 100 ग्राम चावल के अतिरिक्त परिवर्तन मूल्य मद में ₹ 2.92 एवं वर्ग VI-VIII के छात्र/छात्रा के लिए प्रति छात्र/छात्रा प्रतिदिन 150 ग्राम चावल के अतिरिक्त परिवर्तन मूल्य मद में ₹ 4.33 उपलब्ध कराया जा रहा है।
- परिवर्तन मूल्य की उक्त दर में वित्तीय वर्ष 2012–13 से 7.5 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी।
- इसके अलावे विद्यालयों में मध्याह्न भोजन तैयार करने वाले प्रत्येक रसोईया को (कुल संख्या–1,83,583) वर्ष के 10 महीनों के लिए प्रतिमाह ₹ 1000/– की दर से मानदेय का भुगतान किया जा रहा है तथा उक्त सभी रसोईयों को वित्तीय वर्ष 2011–12 के अंतिम त्रैमास से प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि स्वच्छ और उचित तरीके से मध्याह्न भोजन की तैयारी सुनिश्चित की जा सके।
- सप्ताह के छः दिनों के लिये सोमवार से क्रमानुसार मध्याह्न भोजन का मीनू निर्धारित है जैसेः–(1) चावल, दाल, सब्जी (2) छोला/राजमा/पुलाव (3) आलू सोयाबीन–चावल (4) खिचड़ी–चोखा (5) कढ़ी–चावल (6) दाल–पुलाव।
- उपर्युक्त मीनू में वर्ग I-V के छात्रों के लिए 100 ग्राम चावल के अतिरिक्त 20 ग्राम दाल, 50 ग्राम हरी सब्जी, 5 ग्राम खाद्य तेल/वसा तथा वर्ग VI-VIII के छात्र/छात्रा के लिए 150 ग्राम चावल के अतिरिक्त 30 ग्राम दाल, 75 ग्राम सब्जी, 7.5 ग्राम खाद्य तेल/वसा प्रतिदिन प्रति छात्र/छात्रा निर्धारित है। NCLP के बच्चों को वर्ग I-V के बच्चों के मानदंड के अनुरूप ही मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि वर्ग I-V के छात्र/छात्रा को प्रतिदिन प्रतिछात्र 12 ग्राम प्रोटीन, 450 कैलोरी उर्जा तथा वर्ग VI-VIII के छात्र/छात्रा को प्रतिदिन प्रतिछात्र 20 ग्राम प्रोटीन, 700 कैलोरी उर्जा के अलावे आयरन, फोलिक एसिड एवं विटामीन–ए जैसे माइक्रोन्यूट्रेन्टस निश्चित रूप से प्राप्त कराया जा सके।
- विगत चार माह से मध्याह्न भोजन योजना के कुशल प्रबंधन एवं अनुश्रवण हेतु बेब आधारित मासिक MIS लागू कर दिया गया है जो मध्याह्न भोजन योजना के Website WWW.mdmsbihar.org.in पर आमजन के अवलोकन के लिए भी उपलब्ध है। उक्त मासिक MIS की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं;

  (i) प्रत्येक माह के उपरान्त, गत माह में व्यय एवं अवशेष राशि की Data Entry प्रखंड साधन सेवी के माध्यम से आगामी माह के 7वें दिवस तक समाप्त कर लिया जाना।

(ii) तदोपरान्त माह की 15वीं तिथि तक मदवार विद्यालयों में राशि की उपलब्धता एवं आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए औसत मासिक व्यय के आधार पर आगामी तीन माह हेतु राशि का हस्तानान्तरण Internet Banking एवं RTGS के माध्यम से जिला प्रभारी पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना द्वारा किया जाना।

(iii) MIS के माध्यम से वैसे विद्यालयों की सूची प्राप्त करना जिन्हें राशि एवं खाद्यान्न हस्तानान्तरित नहीं की गई है अथवा जहाँ मध्याह्न भोजन योजना किसी कारण से बाधित है।

- मध्याह्न भोजन योजना के कुशल प्रबंधन एवं अनुश्रवण हेतु बिहार प्रशासनिक सेवा के वरीय उप समाहर्त्ताओं को प्रत्येक जिला में प्रभारी पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना के पद पर पदस्थापित किया गया है।

tu f'k{kk

lk{kj Hkkjr fe'ku &2012

भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार के सहयोग से बिहार के सभी 38 जिलों में साक्षर भारत मिशन कार्यक्रम 15+ आयु वर्ग के निरक्षरों को विशेषकर महिला निरक्षरों को साक्षर करने, उन्हें जागरूक करने के उद्देश्य से संचालित किया जा रहा है। इसमें सम्पूर्ण कार्यक्रम व्यय का 75 प्रतिशत भारत सरकार एवं 25 प्रतिशत राज्य सरकार वहन करती है।

कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार के द्वारा अभी तक 9005.76 लाख रूपया विमुक्त किया गया है। उक्त विमुक्त केन्द्रांश के विरूद्ध संगत राज्यांश 3001.99 लाख रू0 विमुक्त कर दिया गया है। अभी तक विभिन्न स्तर पर ₹ 2400.63 लाख व्यय हुआ है।

lk{kj Hkkjr dk;Øe dh Hkkfrd izxfr

- सभी जिलों में सर्वे का कार्य कर लिया गया है। सर्वे के आंकड़े जिलास्तर पर समेकित किये जा रहे है।
- सभी जिलों में लोक शिक्षा समिति गठन कर लिया गया है।
- 532 प्रखण्डों में प्रखण्ड लोक शिक्षा समिति का गठन और अनुबंध पर समन्वयकों का चयन कर लिया गया है। प्रखण्डों में साक्षर भारत का सहायक चालू खाता खोला जा रहा है।
- 7993 पंचायतों में प्रति पंचायत दो की दर से कुल 15986 प्रेरकों का चयन कर लिया गया है।
- जिला/प्रखण्ड स्तर के समन्वयकों का प्रशिक्षण हो चुका है। साधन सेवी, मुख्य प्रशिक्षक तथा स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण दे दिया गया है।
- सभी जिलों में प्रवेशिका उपलब्ध करा दी गयी है।
- कुल निर्धारित लक्ष्य 4,24,388 Literacy Learning Centres (L.L.C.) के विरूद्ध 2,92,108 Literacy Learning Centres (L.L.C.) प्रारम्भ कर दिये गये हैं।
- दिनांक 6–03–2011 को NIOS द्वारा सभी जिलों में आयोजित बुनियादी महापरीक्षा में कुल 20,16,522 नवसाक्षर उत्तीर्ण हुए।
- दिनांक 18.03.2012 को NIOS द्वारा सभी जिलों में आयोजित बुनियादी महापरीक्षा में 15+ आयुवर्ग के 50 लाख नवसाक्षरों को शामिल करने का लक्ष्य है।

i¡j.kk dk;Øe

- बिहार राज्य के 8 केन्द्रीय काराओं, 31 मंडल काराओं एवं 15 उप काराओं में संसीमित निरक्षर बंदियों की साक्षरता हेतु जन शिक्षा निदेशालय से राज्य सरकार के सम्पूर्ण व्यय पर प्रेरणा कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। योजना का भौतिक/वित्तीय लक्ष्य एवं उपलब्धि निम्नांकित है :–

Hkkfrd	foÙkh;	Hkkfrd	foÙkh;
9142 बंदियों को साक्षरता का लक्ष्य	30.69 लाख	8750 साक्षर	30.69 लाख

- राज्य के काराओं में संसीमित निरक्षर बंदियों के सकारात्मक मनोविज्ञानक/मानसिकी परिवर्तन के लिए योजना के तहत पुस्तकालय हेतु पुस्तक क्रय डाक्यूमेंट्री फिल्म प्रदर्शन एवं साक्षर होने के उपरांत प्रोत्साहन पुरस्कार की व्यवस्था की गयी है।
- वर्ष 2012–13 में कुल 10,100 संसीमित निरक्षर बंदियों की साक्षरता के लिए योजना तैयार की जा रही है।

ek/;fed f'k{kk

• राजकीय	–	68
• अल्पसंख्यक	–	72
• प्रोजेक्ट	–	250
• राजकीयकृत	–	2859
• राजकीय संस्कृत विद्यालय	–	11
dqy ek/;fed@mPp ek/;fed fo|ky;ksa dh la[;k	&	3260

ek/;fed f'k{kk ¼jkT; ;kstuk½ ds vUrxZr lapkfyr eq[; ;kstuk,¡ %&

1- eq[;ea=h lkbZfdy ;kstuk

राज्य के राजकीय/राजकीयकृत/प्रोजेक्ट माध्यमिक विद्यालयों/मान्यता प्राप्त गैर सरकारी अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों/अनुदानित अराजकीय प्रस्वीकृत मदरसा/संस्कृत एवं वित रहित माध्यमिक विद्यालयों में 9वीं कक्षा में नामांकित छात्र/छात्राओं के लिए ₹ 2500 की दर से साईकिल उपलब्ध कराई जा रही है।

इस योजना की राशि का वितरण भी शिविर लगाकर शिक्षा समिति, पंचायत समिति, अभिभावक, ग्रामीणों एवं छात्र/छात्राओं की उपस्थिति में किया जाता है ताकि नगद राशि के वितरण में पारदर्शिता बनी रही एवं अनुचित उपायों को बल नहीं मिले।

मुख्यमंत्री साईकिल योजना वर्ष 2008–09 से संचालित है। वर्ष 2008–09 एंव 2009–10 में इसे गैर योजना मद से संचालित किया गया। वितीय वर्ष 2010–11 से यह राज्य योजना मद से संचालित हो रहा है।

2- f'k{kdksa dh fu;qfDr

शिक्षक एवं छात्र/छात्रा अनुपात राष्ट्रीय अनुपात स्तर पर लाने के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध है। माध्यमिक/उच्चत्तर माध्यमिक शिक्षा नियुक्ति नियमावली, 2006 एवं नियुक्ति नियमावली, 2008 (संशोधन) के तहत माध्यमिक एवं उच्चत्तर माध्यमिक शिक्षकों के 6000 एवं 6000 पद के विरूद्ध क्रमशः 3324 एवं 4519 की नियत वेतन पर नियुक्ति की गयी है।

3. iLrdky;k/;{kk dh fu;fDr

द्वितीय चरण शिक्षक नियोजन के अन्तर्गत पुस्तकालयाध्यक्षों के 2557 पदों के विरूद्ध 973 पुस्तकालयाध्यक्षों की नियुक्ति की गयी है। शेष रिक्त पदों पर पुस्तकालयाध्यक्षों की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है।

4. fo|ky; Hkou fuek.k ¼jktdh;@jktdh;dr@vYil[;d ,o çktDV fo|ky; dk mRØe.k½

- वित्तीय वर्ष 2005–06 से 2010–11 तक राज्य में मौजूद 2937 राजकीय/राजकीयकृत/अलपसंख्यक/प्रोजेक्ट मध्यमिक विद्यालयों के विरूद्ध 2859 विद्यालयों को उच्च माध्यमिक (+2) विद्यालय में उत्क्रमित करते हुए सुदृढ़ीकरण की राशि उपलब्ध करायी गयी है।
- वित्तीय वर्ष 2011–12 में शेष 78 माध्यमिक विद्यालयों के उत्क्रमण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

5. ie.Myh; e[;ky; e f'k{kk Hkou

राज्य के प्रमण्डलीय/जिला मुख्यालयों में शिक्षा भवन का निर्माण प्रस्तावित है। इसके तहत पटना में शिक्षा भवन का निर्माण किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2011–12 में प्रमण्डलीय मुख्यालय दरभंगा में शिक्षा भवन के निमार्ण हेतु ₹ 218.00 लाख उपलब्ध कराया गया है।

6- e[;e=h fcgkj n'ku ;ktuk ¼Nk=k dk 'k{kf.kd Hke.k½

वित्तीय वर्ष 2011–12 में राज्य में अवस्थित 2937 राजकीय/राजकीयकृत/अल्पसंख्यक एवं प्रोजेक्ट विद्यालयों तथा 517 अनुदानित विद्यालयों के छात्र/छात्राओं को परिदर्शन एवं ऐतिहासिक स्थलों के भ्रमण हेतु प्रति विद्यालय ₹ 10,000 की दर से राशि उपलब्ध करायी गयी है।

7. e[;e=h ik'kkd ;ktuk &

राज्य में बालिकाओं को माध्यमिक शिक्षा की ओर आकृष्ट करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में वर्ग नवम् से +2 तक की कक्षा में शिक्षा ग्रहण कर रही प्रत्येक छात्रा को पोशाक क्रय हेतु प्रति छात्रा ₹ 1000/– दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2011–12 में छात्राओं को पोशाक उपलब्ध कराने हेतु ₹ 14517.81 लाख की राशि जिलों को उपलब्ध करा दी गयी है।

8- e[;e=h ckfydk çkRlkgu ;ktuk

इस योजना के तहत राज्य के विद्यालयों से 10वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण सामान्य कोटि/पिछड़ा वर्ग–2 की छात्राओं को ₹ 10,000/– प्रति छात्रा प्रोत्साहन स्वरूप उपलब्ध कराया जाता है। वित्तीय वर्ष 2011–12 में सामान्य

कोटि एवं पिछड़ा वर्ग–2 के क्रमशः 15700 एवं 17463 अर्थात कुल 33163 छात्राओं को प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराने हेतु राशि जिलों को उपलब्ध करा दी गयी है।

9. jkT; e/kk Nk=ofÙk vUrxir

राज्य के राजकीय/राजकीयकृत विद्यालयों में वर्ग 11वीं तथा 12वीं में अध्ययनरत (1400+1400=2800) मेधावी छात्र/छात्राओं को क्रमशः ₹ 400/– तथा ₹500/– प्रतिमाह की दर से 10 माह के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है।

आई०आई०टी० प्रवेश परीक्षा में सफल छात्र/छात्राओं को ₹ 50,000/– प्रति छात्र की दर से प्रोत्साहन छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

10. fcgkj xkjo Nk=ofÙk

राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य के मूल निवासी छात्रों को बिहार गौरव छात्रवृत्ति के अन्तर्गत प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करायी जाती है।

dUnz çk;kftr ;kstuk dk vUrxir lapkfyr eq[; ;kstuk

वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत निम्न कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है :–

- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (R.M.S.A.)
- बालिका छात्रावास का निर्माण
- मॉडल स्कूल की स्थापना
- ICT@School Scheme

jk"Vªh; ek/;fed f'k{kk vfHk;ku (R.M.S.A.)

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (केन्द्र प्रायोजित योजना) के कार्यान्वयन हेतु बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद् का गठन किया गया है। इस योजना के तहत 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को उच्च कोटि की शिक्षा सुगमतापूर्वक प्रदान करना है।

माध्यमिक शिक्षा में बढ़ते दबाव के कारण माध्यमिक शिक्षा को सशक्त और सुदृढ़ करने के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान प्रारम्भ किया गया है। यह एक केन्द्र प्रायोजित योजना है। इस योजना के अंतर्गत किये जाने वाले मुख्य कार्य हैः–

- मध्य विद्यालयों का उच्च विद्यालय में उत्क्रमण
- नया विद्यालय खोला जाना
- विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण हेतु अतिरिक्त कमरों का निर्माण
- 1:40 के अनुपात में अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति
- बिना सामाजिक, आर्थिक, लिंग–भेद एवं विकलांग बच्चों की बाधा–रहित शिक्षा
- माध्यमिक शिक्षा में वर्ष 2017 तक 70% GER हासिल करना
- वर्ष 2022 तक माध्यमिक शिक्षा का सर्वभौमिकरण।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (R.M.S.A.) के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य किये जा रहे हैः–

¼d½ mRØfer ek/;fed fo|ky; dk lc/k eh&

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के दिशा–निदेश के आलोक में हर 5 किलोमीटर की त्रिज्या में एक माध्यमिक विद्यालय सुनिश्चित किया जाना है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के इस दिशा–निदेश के आलोक में गत 3 वित्तीय वर्षों में 946 मध्य विद्यालय के माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमण की कार्रवाई की गयी है। उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय के अन्तर्गत 323 उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों में वर्त्तमान शैक्षिक सत्र से अध्यापन कार्य किया जा रहा है। बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम, पटना द्वारा इन चिन्हित विद्यालयों में भवन निर्माण का कार्य सुनिश्चित किया जा रहा है।

¼[k½ mPp fo|ky;k dk lqn<hdj.k ¼&

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त वर्ग कक्ष, विज्ञान प्रयोगशाला, कम्प्यूटर कक्ष, पुस्तकालय कक्ष, शौचालय एवं पेयजल आदि हेतु योजना कार्यान्वित की जा रही है।

¼x½ f'k{kdk dk izf'k{k.k¼&

माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों के क्षमता वर्द्धन हेतु प्रशिक्षण का कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है।

¼?k½ fo|ky; izcU/k lfefr dk {kerk o)Zu¼&

माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रबंध समिति के सदस्यों के क्षमता वर्द्धन हेतु प्रशिक्षण मॉड्यूल तथा प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए संदर्शिका तैयार कर ली गई है।

¼M-½ okf"kd vuqnku ¼&

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों को प्रतिवर्ष 50 हजार रुपये वार्षिक अनुदान एवं 25 हजार रुपये वार्षिक लघु मरम्मति हेतु दिया जाता है।

¼p½ f'k{kdk dh fu;qfDr ¼&

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रदत्त इकाई के विरूद्ध नवउत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों में 6 शिक्षकों एवं 01 प्रधानाध्यापक का नियोजन किया जाना है।

foKku izn'kZuh

सभी जिलों को विज्ञान दिवस के अवसर पर दिनांक 28.02.2012 को एक साथ विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित करने का विस्तृत निदेश दिया गया है, जिसमें जिले के सभी विद्यालय के छात्रों द्वारा बनाये गये विज्ञान मॉडल को प्रदर्शित किया जायेगा।

iqLrd esyk

प्रत्येक जिले में निर्धारित स्थान पर पुस्तक मेला आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इसमें सभी विद्यालयों को भाग लेकर पुस्तकों का आवश्यकतानुसार क्रय करने का निदेश भी दिया गया है। ज्ञातव्य है कि राज्य स्तर पर दिनांक 11–12 जनवरी, 2012 को एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें माध्यमिक एवं

उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लागू सभी विषयों के अनुरूप पूरे राज्य से शिक्षकों को आमंत्रित कर एक सुझावात्मक सूची तैयार करायी गयी है, जिसकी सहायता से विद्यालय आवश्यकतानुसार पुस्तकों का क्रय कर सकें।

'k{kf.kd Hkze.k

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत राज्य के सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत नवम् वर्ग के छात्र/छात्राओं को शैक्षणिक भ्रमण कराने का प्रावधान है।

ek/;fed f'k{kk ic/ku ,o lpuk i.kkyh ¼SEMIS½

माध्यमिक शिक्षा के लिए माध्यमिक शिक्षा प्रबंधन एवं सूचना प्रणाली (Secondary Education Management Information System) के अन्तर्गत सभी मान्यता प्राप्त माध्यमिक और उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों से डाटा कैप्चर फार्मेट (DCF) द्वारा प्राप्त आँकड़े की व्याख्या, सारणीयन, विश्लेषण और इस प्रकार एकत्र आँकड़ों की व्याख्या की जाती है जिसे सभी व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाया जाता है एवं आने वाले वर्षों में माध्यमिक शिक्षा के लिए योजना एवं प्रबंधन हेतु इसका इस्तेमाल किया जाता है।

ckfydk Nk=kokl dk fuek.k

शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों के प्रखंडों में माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में ''बालिका छात्रावास निर्माण'' की योजना वित्तीय वर्ष 2009–10 से संचालित है। यह एक केन्द्र प्रायोजित योजना है।

mí';%&

1. माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में वर्ग 9 से 12 तक अध्ययनरत अनु0 जाति/अनु0ज0जा0 एवं अल्पसंख्यक कोटि की छात्राओं का आवासन इस छात्रावास में होगा।
2. कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय की छात्राओं को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। यह योजना इसलिए आवश्यक है कि कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय से 8वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् छात्राएँ 9वीं कक्षा में अपनी पढ़ाई जारी रख सके।

वर्ष 2009–10 में राज्य द्वारा प्रस्तावित 142 प्रखंडों में से 92 में बालिका छात्रावास हेतु ₹ 42.50 लाख की दर से भारत सरकार द्वारा स्वीकृति दी गयी है। वर्ष 2010–11 राज्य द्वारा प्रस्तावित 213 प्रखंडों में 166 बालिका छात्रावासों की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दी गयी है। वर्ष 2011–12 में राज्य द्वारा 120 प्रखंडों का प्रस्ताव भारत सरकार सरकार को भेजा गया है।

वर्ष 2009–10 में स्वीकृत 92 बालिका छात्रावासों के निर्माण हेतु नक्शा एवं प्राक्कलन भारत सरकार की स्वीकृति हेतु भेजा गया था। स्थानीय भूमि एवं पर्यावरण को देखते हुए 12344 sqft प्रस्तावित नक्शा भारत सरकार को भेजा गया था जो भारत सरकार के तय मापदंड से 694 Sqft अधिक था। तद्नुसार प्राक्कलन में भी वृद्धि थी। परन्तु भारत सरकार द्वारा पत्र दिया गया कि अगर अधिक दर का वहन राज्य सरकार करना चाहे तो तुरंत सूचित किया जाय।

तद्नुसार भारत सरकार को सूचित किया गया कि उनके द्वारा निर्धारित 11650 sqft क्षेत्रफल एवं ₹ 136.71 लाख राशि की सीमा में ही छात्रावासों का निर्माण किया जायेगा। बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम द्वारा अभी संशोधित नक्शा एवं प्राक्कलन समर्पित किया जाना है।

o"kZ	'kSf{kd :i ls fiNMs vkPNkfnr ftyksa dh la[;k	'kSf{kd :i ls fiNMs ç[kMksa dh la[;k	dsUnzka'k	jkT;ka'k
2009–10	13	92	1759.00	602.65
2010–11	–	166	–	705.50
2011–12	31	272	10404.00	944.35
		530		

<u>dk;kZUo;u ,tsUlh&</u>

बालिका छात्रावास का निर्माण बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम के द्वारा करवाया जा रहा है। इस निमित्त अभी तक निगम को ₹ 1306 लाख उपलब्ध कराया गया है।

<u>ekWMy Ldwy dh LFkkiuk</u>

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009–10 में 105 तथा 2010–11 में 265 अर्थात कुल 370 मॉडल स्कूलों (इसमें 122 बुनियादी विद्यालय के स्थल भी शामिल हैं) की स्थापना की स्वीकृति प्राप्त है।

वर्ष 2009–10 में भारत सरकार द्वारा 105 मॉडल स्कूलों का अनुमोदन दिया गया था। उन 105 मॉडल स्कूलों की स्थापना हेतु भारत सरकार द्वारा ₹ 18,85,00,000/– एवं पुनः ₹ 100,06,00,000/– की विमुक्ति की गई। इस प्रकार भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009–10 में स्वीकृत मॉडल स्कूलों के लिए कुल ₹ 118,91,00,000/– विमुक्त किया गया।

वर्ष 2009–10 में स्वीकृत 105 मॉडल स्कूलों के लिए ₹ 39.64 करोड़ राज्यांश के रूप में विमुक्त किया गया।

वर्ष 2009–10 में स्वीकृत 105 मॉडल स्कूलों के लिए विमुक्त केन्द्रांश एवं राज्यांश की कुल राशि ₹ 158,55,00,000/– बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम को उपलब्ध कराया गया हैं।

वर्ष 2010–11 में भारत सरकार द्वारा 265 मॉडल विद्यालयों स्वीकृत किया गया है, परन्तु राशि विमुक्त नहीं की गई है।

2. मॉडल स्कूलों के भवन निर्माण हेतु नक्शा एवं प्राक्कलन तैयार करने हेतु राज्य परियोजना निदेशक, बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम को निदेशित किया गया है।

<u>ICT@School Scheme</u>

ICT@School केन्द्र प्रायोजित योजना है, जिसमें 75 प्रतिशत राशि केन्द्र एवं 25 प्रतिशत राशि का वहन राज्य द्वारा किया जाता है।

सम्प्रति 1000 विद्यालयों में ICT@School योजना का कार्यान्वयन बेल्ट्रॉन के माध्यम से कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 1000 माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर अधिष्ठापन एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण का कार्य बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम, पटना द्वारा किया जा रहा है।

fcgkj fo|ky; ijh{kk lfefr] iVuk

''बिहार विद्यालय परीक्षा समिति'' बिहार राज्य में शिक्षा के विशाल वृक्ष की जड़ों को पोशित करने का कार्य करती है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की स्थापना बिहार अधिनियम 7 की धारा–3 के अन्तर्गत 1952 में हुई, उस समय ये कदमकुँआ के एक छोटे से मकान में अवस्थित थी, जो अब एक व्यापक रूप में फ्रेजर रोड से जुड़े सिन्हा लाईब्रेरी रोड पर स्वर्गीय डॉ0 सच्चिदानन्द सिन्हा के विशाल भवन में अवस्थित है। डॉ0 सिन्हा की परिष्कृत अभिरूचि एवं सादगी की प्रतीक इस मकान के रचनात्मक आयामों में बिना किसी परिवर्तन के समिति द्वारा इसे भव्य रूप प्रदान किया गया है। भवन की भव्यता में उत्तरोत्तर विकास के साथ–साथ समिति परिसर में समृद्ध बागबानी और वृक्षारोपण के जरिए पुष्पित और पल्लवित करने का सफल प्रयास किया गया है।

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना के वार्षिक बजट में समिति के सभी स्रोतों से प्राप्त आय एवं व्यय के आँकड़े प्रदर्शित किये जाते हैं। आय के स्रोत मुख्य रूप से परीक्षा शुल्क, सत्यापन–शुल्क, विविध शुल्क, अंक पत्र शुल्क, औपबंधिक प्रपत्र शुल्क, मूल प्रमाण पत्र शुल्क हैं। प्राप्त शुल्क से समिति के कर्मचारियों के वेतन, सेवानिवृत कर्मियों के पेंशन, परीक्षा संचालन से परीक्षाफल प्रकाशन कार्य में होने वाले खर्च को वहन किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2011–12 के वार्षिक बजट में सभी स्रोतों से समिति के माध्यमिक प्रभाग में कुल अनुमानित आय ₹ 84.77 करोड़ तथा अनुमानित व्यय ₹ 85.84 करोड़ है। इसीप्रकार के उच्च माध्यमिक प्रभाग में कुल अनुमानित आय ₹ 65.08 करोड़ तथा अनुमानित व्यय ₹ 68.24 करोड़ है। समिति में दोनों प्रभागों को मिलाकर समिति के लिए कुल ₹ 4.23 करोड़ घाटे का बजट है।

समिति के प्रबन्धन और सेवकों के परस्पर सहयोग यथार्थ कृतज्ञता, अत्यधिक संतोष, उत्साहित करने की प्रतिबद्धता, पुष्ट प्रबन्धन, मितव्ययिता और क्रमशः विकास करने की भावना के कारण यह कहना अप्रासंगिक नहीं होगा कि परीक्षा समिति अपनी बढ़ती अर्थव्यवस्था, सुदृढ़ प्रशासन और अनुशासन के बल पर अपने स्थायित्व को कायम रखने में कामयाब है।

- समिति के माध्यमिक प्रभाग के मुख्य भवन के निचले तल्ले को आधुनिकीकरण कर दिया गया है।
- पुराने अभिलेखों का सी0डी0 तैयार कर इसे कम्प्यूटरीकृत करने की योजना है ताकि छात्रों को ससमय प्रमाण पत्र, अंक पत्र आदि कम्प्यूटर से मुद्रित होकर प्राप्त हो सके।
- कम्प्युटरीकृत काउन्टर द्वारा वर्ष 2006 से अब तक कम्प्युटरीकृत अंक प्रमाण पत्र, प्रवजन प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र, औपबंधिक प्रमाण पत्र परीक्षार्थियों के मांग के अनुसार उसी दिन (Same Day) उपलब्ध कराया जा रहा है।

- विद्यालयों में शैक्षणिक माहौल पैदा करने के उद्देश्य से समय–समय पर सेमिनार तथा शिक्षकों का उन्मुखीकरण कार्यशाला आयोजित किया जा रहा है।
- राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त शिक्षक पात्रता परीक्षा में उतीर्ण अभ्यर्थियों की प्रारम्भिक, माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शिक्षक तथा पुस्तकालयों के पदों पर नियोजन हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा संचालन की जिम्मेवारी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को दी गई है जिसके अन्तर्गत लगभग 26,00,000 (छब्बीस लाख) परीक्षार्थियों का सफल परीक्षा संचालित कराया गया। इसके अतिरिक्त शेष छूटे 2,20,000 परीक्षार्थियों की परीक्षा दिनांक 18.02.2012 को संचालित की जा चुकी है। इसके साथ ही बिहार माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिये लगभग 5,00,000 (पांच लाख) परीक्षार्थियों का परीक्षा आयोजन किया जाना है। परीक्षार्थियों की परीक्षा दिनांक 17.02.2012 को आयोजित की गई। शिक्षक पात्रता परीक्षा का परीक्षाफल तैयार की जा रही है।
- सी0बी0एस0ई0 पैटर्न पर माध्यमिक एवं +2 स्तर पर सेमेस्टर एवं ग्रेडिंग सिस्टम के साथ–साथ Objective प्रश्नों के आधार पर परीक्षा व्यवस्था लागू करने की योजना पर परामर्श लिया जा रहा है।
- Syllabus को भी उसी के अनुरूप ढाला जा रहा है।
- छात्र/छात्राओं को 10वीं एवं 12वीं कक्षा की परीक्षा हेतु ऑन लाईन ओ0एम0आर0 फार्म भरने के संबंध में भी समिति की योजना है जिस पर प्रयोग किये जा रहे हैं।
- राज्य सरकार/शिक्षा विभाग के आदेशानुसार दक्षता परीक्षा का सफल संचालन कर परीक्षाफल का निस्तारण किया गया है।
- समिति के दोनों प्रभागों की कार्यशैली तथा उच्च तकनीकी के आधार पर परीक्षा का संचालन एवं परीक्षाफल निर्गमन के आलोक में वार्षिक माध्यमिक परीक्षा– 2012 एवं उच्च माध्यमिक परीक्षा–2012 हेतु परीक्षार्थियों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है, जिसके अनुसार वर्ष–2012 में दोनों प्रभाग मिलाकर लगभग 21,00,000 (इक्कीस लाख) परीक्षार्थियों का परीक्षा संचालन किया जा रहा है।
- समिति के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक दोनों प्रभाग की क्रिया–कलापों में उत्तरोत्तर वृद्धि के साथ प्रगति पथ पर अग्रसर है। समय–समय पर राज्य सरकार/ शिक्षा विभाग के निर्देश एवं समसामयिक तकनीकी जरूरतों को ध्यान रखते हुए कार्यों का त्वरित सम्पादन कराया जाता है।

jkT; f'k{kk 'kks/k ,oa izf'k{k.k ifj"kn

शिक्षा विभाग की राज्य स्तरीय संस्था राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, बिहार, विद्यालयीय शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिए सतत् प्रयत्नशील है । शैक्षिक विकास की दौड़ में राज्य को प्रतिस्थापित करने, विद्यालयीय शिक्षा को ठोस आधार प्रदान करने और छात्र/छात्राओं के भविष्य को सॅवारने हेतु क्रियाशीलनों और नवाचार गतिविधियों के माध्यम से बहुआयामी कार्यक्रमों का सम्पादन निरंतर परिषद् द्वारा किया

जा रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इस युग में छात्र/छात्राओं में विज्ञान के प्रति सहज और स्वाभाविक अभिरूचि उत्पन्न करने, उनमें वैज्ञानिक सोच और सृजनात्मक कौशल के विकास हेतु विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। शिक्षकों को शिक्षण की नवीनतम विधाओं से अवगत कराने, उनमें शिक्षण संबंधी दक्षता की वृद्धि और विकास के लिए समुचित शैक्षिक सामग्री और विकास के अवसर उपलब्ध कराये जा रहे हैं । एक ओर राज्य के प्रतिभावान छात्र/छात्राओं की प्रतिभा के विकास के लिए राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, तो दूसरी ओर स्वास्थ्य के प्रति उनमें संचेतना विकसित करने के लिए किशोरावस्था शिक्षा के विभिन्न अवयवों और उनकी महत्ता की जानकारी तथा एड्स जैसी महामारी से बचाव के उपाय के प्रति उन्हें सजग करने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है ।

इसी क्रम में वित्तीय वर्ष 2011–12 में संचालित की जा रही योजनाओं की उपलब्धि का प्रतिवेदन निम्नवत् हैः–

ek/;fed f’k{kdk dk if’k{k.k

ekM;y fodkl

सेवाकालीन प्रशिक्षण माड्यूल ^^rkyhe**] ^^mRijd** ,o ^^HkkLdj** तैयार कर जिला स्तरीय प्रशिक्षण हेतु जिलों को उपलब्ध करा दिये गये हैं । हर जिले के लिए आवश्यकतानुसार प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कराया गया है ।

^^rkyhe** प्रशिक्षण का संशोधित माड्यूल तैयार किया गया है तथा इसके प्रशिक्षण हेतु जिलों के साधनसेवियों का प्रशिक्षण किया जा चुका है।

माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्राचार्यों का पांच दिवसीय प्रशिक्षण मॉड्यूल ^^tkxfr ** तैयार कर प्राचार्यों को प्रशिक्षित किया जा रहा है ।

TEFLU, हैदराबाद से प्राप्त राशि से राज्य के कई जिलों में माध्यमिक एवं प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षकों का दस दिवसीय एवं पांच दिवसीय अंग्रेजी प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2011–12 में राज्य के कुल 10 जिलों में उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है शेष जिलों में प्रशिक्षण के आयोजन संबंधी प्रक्रिया की जा रही है। माध्यमिक स्तरीय शिक्षकों की अंग्रेजी भाषा में दक्षता विकसित करने संबंधी कार्यशाला का भी आयोजन किया गया।

राज्य के माध्यमिक विद्यालयों के पुस्तकालयों हेतु पुस्तकों के चयन संबंधी कार्यशाला का आयोजन बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद् के वित्तीय सहयोग से कराया गया है।

बिहार राज्य के सेवाकालीन शिक्षकों/शिक्षक प्रशिक्षकों के सामाजिक विज्ञान विषय में क्षमता वर्द्धन के लिए 7–11 जून, 2011 तक एन0सी0ई0आर0टी0, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम_In service Training of teachers and teacher educators in social sciences for capacity building in the state of Bihar. सफलतापूर्वक संपन्न हुआ ।

ifMr tokgj yky ug: cky foKku in’kuh %&

- यह प्रतिवर्ष एन0सी0ई0आर0टी0, नई दिल्ली के सहयोग से एस0सी0ई0आर0टी0, बिहार द्वारा आयोजित किए जाने वाला एक बहुआयामी एवं भव्य कार्यक्रम है । प्रदर्शनी आयोजन हेतु विषय एवं उप विषय दिशा निर्देश के साथ एन0सी0ई0आर0टी0, नई दिल्ली से प्राप्त होता है। इसके विजेता पूर्वी भारत विज्ञान मेला एवं राष्ट्रीय पंडित जवाहर लाल नेहरू बाल विज्ञान प्रदर्शनी में भाग

लेते हैं । इसमें विभाग की अहम भूमिका होती है । परिषद् द्वारा 39वीं जवाहरलाल नेहरू राज्य स्तरीय बाल विज्ञान प्रदर्शनी 2011–2012 का आयोजन बाल दिवस के अवसर पर दिनांक 11 से 13 नवम्बर 2011 को परिषद् द्वारा किया गया । इसी क्रम में 20 वर्षों के उपरान्त राज्य में राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन परिषद् द्वारा किया गया।

- foKku Mkek ifr;kfxrk ½

वर्ष 2009 से आरम्भ होने वाला यह विभाग का नया कार्यक्रम है जो एस0सी0ई0आर0टी0 एवं श्री कृष्ण विज्ञान केन्द्र, पश्चिमी गॉधी मैदान, पटना के संयुक्त तत्वाधान में बी0आई0टी0एम0, कोलकता से प्राप्त विषय एवं दिशा निर्देश के आलोक में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है।

एस0सी0ई0आर0टी0 एवं श्री कृष्ण विज्ञान केन्द्र, पश्चिमी गॉधी मैदान, पटना के संयुक्त तत्वाधान में 19 जुलाई, 2011 को विज्ञान ड्रामा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसका मुख्य विषय– 'विज्ञान एवं समाज' था।

- foKku lxk"Bh ½&

यह कार्यक्रम विभाग द्वारा एस0सी0ई0आर0टी0 एवं श्री कृष्ण विज्ञान केन्द्र, पश्चिमी गॉधी मैदान, पटना के संयुक्त तत्वाधान में बी0आई0टी0एम0, कोलकता से प्राप्त विषय एवं दिशा निर्देश के आलोक में प्रतिवर्ष संपादित किया जाता है।

- ioh Hkkjr foKku eyk½&

यह प्रतियोगिता प्रतिवर्ष बी0आई0टी0एम0, कोलकाता द्वारा किया जाता है। इस प्रतियोगिता में पंडित जवाहर लाल नेहरू बाल विज्ञान प्रदर्शनी के विजेता छात्र–छात्राएँ भाग लेते हैं। इस आयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा बिहार के प्रतिभागियों के लिए सहयोग प्रदान किया जाता है।

- foKku fnol ½&

यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष नोबेल पुरस्कार विजेता डा0 सर सी0वी0 रमण के सम्मान में 28 फरवरी को होता है। इस अवसर पर सर सी0वी0 रमण के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर चर्चा के साथ–साथ अन्य वैज्ञानिकों एवं उनकी उपलब्धियों पर भी चर्चा होती है। इस अवसर पर अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किये जाते हैं जैसे – वाद विवाद, क्विज, भाषण, अंताक्षरी आदि।

- cky foKku dkxl d vk;ktu e lgHkkfxrk ½&

बच्चों के लिए बाल विज्ञान कॉग्रेस का आयोजन प्रतिवर्ष सायंस फॉर सोसायटी, बिहार द्वारा राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् तथा बिहार काउन्सिल ऑफ सायंस एण्ड टेक्नोलॉजी के सहयोग से वर्ष 1993 से ही राज्य में आयोजित किया जा रहा है ।

,MlV dk;de :

एस0सी0ई0आर0टी0 में सी0आई0ई0टी0,नई दिल्ली के माध्यम से प्राप्त एडुसेट यंत्र स्थापित है। एडुसेट के माध्यम से सी0आई0ई0टी0, एन0सी0ई0आर0टी0 द्वारा वर्ष 2007–08 से शिक्षा में गुणवत्ता विकास हेतु शिक्षकों एवं शिक्षक–प्रशिक्षकों को

विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस सभी कार्यक्रमों के संचालन हेतु सी0आई0ई0टी0, एन0सी0ई0आर0टी0 द्वारा राशि उपलब्ध करायी जाती है ।

वित्तीय वर्ष 2011–12 में सूचना संचार प्रौद्योगिकी (ICT) विषयक शोध विधि पर उन्मुखीकरण कार्यक्रम सी0आई0ई0टी0, एन0सी0ई0आर0टी0 एवं एस0सी0ई0आर0टी0 द्वारा बिहार के शिक्षक–प्रशिक्षकों को विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया ।

शिक्षा के अधिकार के Implication पर वर्ष 2011 में टेलिकॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम आयोजित किया गया।

राज्य के सभी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में छात्र/छात्राओं के मनोरंजन, ज्ञानवर्द्धन एवं बौद्धिक विकास हेतु शैक्षिक फिल्म प्रदर्शन कराया जा रहा है। यह फिल्म प्रदर्शन अधिकृत फिल्म प्रदर्शक के द्वारा स्व–अर्जन के तहत कराया जाता है।

1. लोक सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 एवं नियमावली 2006 के अन्तर्गत आज तक कुल 110 मामले प्राप्त हुए जिसमें से 76 मामलों का निपटारा किया गया शेष मामलों पर कार्रवाई प्रगति पर है । सूचना शुल्क के रूप में अबतक कुल प्राप्त राशि 988/– है ।

<u>ijh{kk lc/kh dk;Z</u>

- विभागीय परीक्षा वर्ष 2011 का सफलता पूर्वक आयोजन किया गया।
- राष्ट्रीय–आय–सह–मेधा छात्रवृति परीक्षा–2012 में पंजीकृत परीक्षार्थियों की संख्या 30,159 थी जिसमें से 27,832 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए । इस परीक्षा में 2,346 परीक्षार्थी सफल घोषित किए गए ।
  राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा–2012(प्रारम्भिक) में पंजीकृत परीक्षार्थियों की संख्या 40,702 थी जिसमें से 37,275 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए । इस परीक्षा में 194(निर्धारित कोटा–178) परीक्षार्थी सफल घोषित किये गये ।
- f'k{kd ik=rk ijh{kk ¼Vh0bZ0Vh0½ राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् तथा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की संयुक्त तत्वाधान में शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया गया । जिसमें लगभग 24 लाख परीक्षार्थियों ने भाग लिया।

fcgkj tula[;k ,oa Hkfo"; तथा fd'kksjkoLFkk ,oa thou dkS'ky विषय पर राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन विज्ञान प्रदर्शनी के साथ दिनांक 11–13 नवंबर, 2011 को गांधी मैदान, पटना में आयोजित किया गया ।

राज्य स्तरीय पोस्टर प्रतियोगिता, जिसका विषय था– 'किशोरावस्था शिक्षा, नशाखोरी, एच0आई0भी0/एड्स', का आयोजन दिनांक 17.8.11 को किया गया जिसमें 35 जिलों ने भाग लिया । प्रतियोगिता में प्रथम स्थान मुंगेर, द्वितीय लखीसराय एवं तृतीय स्थान कटिहार जिले को प्राप्त हुआ।

- राज्य स्तरीय जनसंख्या किशोरावस्था शिक्षा संबंधी लोक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक 15.9.2011 को श्री कृष्ण विज्ञान केन्द्र में किया गया ।
- enjlk f'k{kdk के प्रशिक्षण हेतु साधन सेवियों को प्रशिक्षित किया गया ।
- dfj;j dkmUlfyax ¼O;kolkf;d ekxZn'kZu½ : राज्य के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के छात्र/छात्राओं के व्यावसायिक मार्गदर्शन के लिए दिनांक

19 अगस्त, 2011 को राज्य के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्राचार्यों के साथ एक दिवसीय बैठक आयोजित की गयी । दिनांक 20 अगस्त, 2011 को दस माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के दस चयनित भाषा शिक्षकों के एक दिवसीय उन्मुखीकरण सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया ।

ikB; iLrd fodkl

इस वर्ष वर्ग 5 और 8 के सभी विषयों की पाठ्य पुस्तकें एन0सी0एफ0 और बी0सी0एफ0 के आधार विकसित कर मुद्रण हेतु बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक निगम को उपलब्ध करा दी गई है । वर्ष 2010–11 में वर्ग 2, 4, और 7 की पाठ्य पुस्तकों को आवश्यक संशोधन परिमार्जन के उपरांत मुद्रण हेतु उपलब्ध करा दिया गया है।

'kks/k dk;l

सत्र 2011–12 में तीन शोध कार्य किये गये हैं ।

- कस्तूरबा गॉधी विद्यालयों की छात्राओं के उपलब्धि स्तर का अध्ययन।
- शिक्षकों के शिक्षण कौशल पर पुस्तकालय के प्रभाव का अध्ययन।
- NUEPA द्वारा आयोजित All India Survey on Higher Education/NCERT द्वारा आयोजित वर्ग–8 के National Achievement Survey का आयोजन फरवरी–मार्च, 12 में होगा ।

v/;kid f'k{kk

- iw0 lsokdkyhu izf'k{k.k: दो वर्षीय शिक्षक–प्रशिक्षण पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम का निर्माण एवं इसके आधार पर 26 डायट/पी0टी0ई0सी0 के प्राचार्यों एवं व्याख्यातागण के प्रशिक्षण एवं मासिक रिफ्लेक्शन का आयोजन किया गया।
- दो वर्षीय पूर्व–सेवाकालीन प्रशिक्षण मॉड्यूल का संशोधन परिमार्जन NCTE के पाठ्यक्रम के आधार पर किया जा रहा है ।
- डायट/पी0टी0ई0सी के संकाय सदस्यों का दस दिवसीय सेवाकालीन प्रशिक्षण ''प्रतिबद्धता'' मार्च, 2012 में आयोजित किया जायेगा ।

o"kZ 2012&13 ds fy, izLrkfor dk;Z

- दूरस्थ शिक्षा के अन्तर्गत डिप्लोमा इन एडूकेशन का संचालन
- D.Ed. कोर्स के लिए संदर्भ सामग्री का विकास तथा मुद्रण
- डायट/पी0टी0ई0सी0 के संकाय सदस्यों का 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम
- डायट/पी0टी0ई0सी के संकाय सदस्यों का मासिक रिफ्लेक्शन
- मध्यमिक /उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्राचार्यों का ^^tkxfr** मॉड्यूल के माध्यम से सेवाकालीन प्रशिक्षण
- उच्च विद्यालय के सामाजिक अध्ययन से संबंधित शिक्षकों के लिए मॉड्यूल का निर्माण तथा साधनसेवियों का प्रशिक्षण
- नव नियुक्त शिक्षकों के लिए 10 दिवसीय मॉड्यूल का विकास
- एडुसेट कक्ष का सुसज्जीकरण किए जाने पर विचार।

2012&13 esa gksuokys dk;ZØe dh okf"kZd ;kstuk

- कक्षा V-VIII के सभी विषयों की विकसित पाठ्यपुस्तकों का संशोधन–परिमार्जन
- कक्षा I-VIII तक के सभी विषयों की पाठ्यपुस्तकों के कक्षा में सरलतापूर्वक एवं प्रभावी ढ़ंग से शिक्षण हेतु शिक्षक संदर्शिका का विकास ।

fcgkj jkT; enjlk f'k{kk cksM

- ➲ बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड का मुख्य कार्य वस्तानिया, फौकानिया तथा मौलवी स्तर की परीक्षाओं को संचालित करना है।
- ➲ वर्ष 2011 में 70169 छात्रों ने वस्तानिया (वर्ग–8), 1,10,221 छात्रों ने फौकानिया (वर्ग–10) तथा 69732 (वर्ग–12)छात्रों ने मौलवी स्तर की परीक्षाओं में भाग लिया।
- ➲ मदरसों के शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की योजना है। प्रशिक्षण शैक्षणिक, वित्तीय एवं प्रशासनिक विषयों पर दिया जाना है। इसके लिए वर्ष 2011–12 में तीस मुख्य श्रेष्ठ व्यक्तियों को तीन दिनों का प्रशिक्षण S.C.E.R.T. के सहयोग से दिया गया।

tsUMj&dk"kkx dh LFkkiuk

विभाग द्वारा चलाये जा रहे बालिका एवं महिला शिक्षा कार्यक्रमों के प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन हेतु जेन्डर कोषांग की स्थापना की गई है। जेन्डर कोषांग एक पर्यवेक्षी घटक के रूप में कार्य करता है, जिसमें जेंडर संवेदनशील कार्यक्रमों का प्रभावी निरीक्षण तथा गुणवत्तापूर्ण बालिका एवं महिला शिक्षा की दिशा में किये जा रहे हस्तक्षेपों के प्रभावी कार्यान्वयन पर बल दिया जाता है। साथ ही यह विभिन्न स्तरों पर राज्य में जेंडर संवेदनशीलता को प्रभावी बनाने हेतु अभिनव विचारों का समावेश करता है।

tsUMj& dk"kkx dh Hkfedk

- ➢ बालिका/महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभाग द्वारा किये जा रहे प्रयासों में तकनीकी सहायता प्रदान करना यथा – डाटा विश्लेषण, अध्ययन इत्यादि।
- ➢ विभाग द्वारा चलाये जा रहे बालिका/महिला शिक्षा कार्यक्रमों की योजना, कार्यान्वयन एवं निगरानी हेतु आवश्यक सुझाव देना।
- ➢ अनुभवों, कार्यक्षेत्र एवं संसाधनों को एक केन्द्रीयकृत रूप देना ताकि लड़कियों/महिलाओं को जीवन–कौशल के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो, उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक तथा व्यवसायिक शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाया जा सके।

tsUMj dk"kkx }kjk fd;s x;s e[; dk;Z %

- ➲ इसके अन्तर्गत राज्य के विद्यालयों में पढ़ाई जाने वाली कक्षा 1 से 8 तक की भाषा एवं समाज अध्ययन के पाठ्यपुस्तकों की विषय–वस्तुओं, चित्रों, भाषा आदि की समीक्षा कर समीक्षात्मक सुझाव प्रतिवेदन राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् (एस.सी.ई.आर.टी.) को भेजे गये ताकि आगामी संस्करणों में इन्हें समाहित किया जा सके।
- ➲ प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा निदेशालयों के माध्यम से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की लिंग संवेदनशीलता के परिप्रेक्ष्य में समीक्षा की गई। इस संदर्भ में आवश्यक सुझाव, यथा – मुख्यमंत्री परिभ्रमण योजना में बालिकाओं की सहभागिता, विभिन्न प्रपत्रों में पिता के नाम के साथ–साथ माता के नाम का कॉलम, आंकड़ों का लिंग आधारित संग्रहण इत्यादि संबंधित निदेशालयों एवं प्रशाखाओं को भेजे गये हैं।

- विभाग के वेबसाइट पर जेन्डर कोषांग के गठन, विभाग द्वारा चलायी जा रही लिंग संवेदनशील योजनाओं की जानकारी, बालिकाओं/महिलाओं के अनुभवों एवं कहानियों आदि को समाहित किया गया है ताकि आम–जन में जेन्डर संवेदनशीलता के प्रति सकारात्मक नजरिये का विकास हो सके।
- विद्यालय के शिक्षकों का जेंडर संवेदशील होना अत्यंत महत्वपूर्ण है, ताकि वे वर्ग–कक्ष में विद्यार्थियों के बीच इस संवेदशीलता को प्रदर्शित करें। जहाँ एक ओर अनुकूल विद्यालीय वातावरण का निर्माण होगा वहीं शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के बीच जेंडर की समझ भी विकसित होगी। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए शिक्षक प्रशिक्षण मॉड्युल 'बोधि संवाद' की समीक्षा की गई तथा मॉड्यॅल में जेंडर संवेदनशील आवश्यक धाराओं को समाहित किया गया है।
- गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित विद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर पर राष्ट्रीय एकता विषय पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया। महाविद्यालय स्तर पर आयोजित निबंध प्रतियोगिता का विषय 'राष्ट्रीय एकता में महिलाओं एवं युवाओं की भूमिका' रखा गया।
- गुणवत्ता शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षकों के लिए बनाये गये शिक्षण संदर्शिकाओं का लिंग संवेदनशीलता के परिप्रेक्ष्य में समीक्षात्मक विश्लेषण किया गया तथा आवश्यक सुझाव समाहित किये गये।
- जनगणना–2011 आधारित शैक्षिक आंकड़ों एवं विभागीय बजट का जेन्डर परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण किया गया ताकि आगे की कार्य–योजना बनाने में मदद मिल सके।
- शिक्षा दिवस के अवसर पर राज्य के सभी विद्यालयों में शिक्षकों की अगुआई में रैली निकाली गई। इसके लिए जेन्डर कोषांग द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं जेंडर समानता से संबंधित नारे विद्यालयों को भेजे गये।
- साक्षर भारत कार्यक्रम से जुड़े प्रशिक्षकों को नेतृत्व क्षमता आधारित प्रशिक्षण दिया गया ताकि वे कार्य के दौरान इस क्षमता का उपयोग कर सकें तथा कार्यक्रम को सफल बनायें।
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विभागीय अधिकारियों के लिए जेन्डर बजट पर आयोजित कार्यशाला में जेंडर कोषांग द्वारा सक्रिय रूप में भूमिका निभाई गई। इस कार्यशाला का उद्देश्य अधिकारियों को लिंग–आधारित बजट (Gender Budgeting) पर प्रशिक्षण देना था।
- शिक्षा दिवस 2011 के अवसर पर जेन्डर कोषांग द्वारा 'लिंग संवेदशनील कार्यशैली' नामक बुकलेट का प्रकाशन कराया गया। कार्यालीय वातावरण एवं कार्यशैली को जेन्डर संवेदनशील बनाने के लिए 11 बिन्दुओं को इस बुकलेट के माध्यम से प्रस्तुत किया गया।
- राज्य के 5 जिलों के 15 महाविद्यालयों में महिला विकास निगम द्वारा आयोजित जेंडर मेला में जेंडर कोषांग द्वारा स्टॉल लगाया गया। इन मेले में बैनरों एवं पुस्तिकाओं ('हमारी आवाज' एवं 'कार्यक्रमों की जानकारी') के माध्यम से शिक्षा विभाग द्वारा चलायी जा रही योजनाओं, बिहार की शैक्षिक स्थिति से संबंधित आंकड़ों, महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए सरकार द्वारा बनाये गये महत्वपूर्ण अधिनियमों आदि की जानकारी दी गई। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों की कुछ ऐसी बालिकाओं एवं महिलाओं की कहानियों का प्रकाशन किया गया जो अपने समुदाय के लिए प्रेरणा–स्रोत बनी हैं।

- शिक्षा विभाग, बिहार के तत्वावधान में राष्ट्रीय बालिका दिवस पर 24 जनवरी 2012 को 'किशोरी संसद' का आयोजन बिहार विधान परिषद् की बाल विकास महिला सशक्तीकरण समिति के आह्वान पर किया गया। राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों से चयनित एक–एक प्रतिनिधि किशोरियों द्वारा अपने चार अधिकारों – 'जीने का अधिकार, विकास का अधिकार, संरक्षण का अधिकार एवं भागीदारी का अधिकार' पर विधान परिषद् में विधायिका और कार्यपालिका के प्रतिनिधियों के समक्ष अपना मांग पत्र रखा गया।

बिहार शताब्दी वर्ष–2012 के अवसर पर 'आशा की उड़ान' डायरी का प्रकाशन किया गया। इस डायरी के माध्यम से उन सशक्त महिलाओं एवं बालिकाओं की अनसुनी कहानियों को प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने अपने अस्तित्व को पहचाना, संभावनाओं को तलाशा तथा अवसरों का लाभ उठाकर समुदाय के लिए प्रेरणा–स्रोत बनीं।

v/;kid f'k{kk

शिक्षा बच्चों का मौलिक अधिकार है। इस अधिकार को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा कानून, 2009 अप्रैल, 2010 से लागू है। बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा कानून, 2009 के अन्तर्गत विद्यालय में प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति हर हाल में सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है। यहाँ तक कहा गया है कि यदि प्रशिक्षित शिक्षकों की अनुपलब्धता की स्थिति में यदि अप्रशिक्षित शिक्षक की नियुक्ति की जाती है तो इस प्रकार के नियुक्त शिक्षकों को एक निर्धारित समयावधि के अन्दर आवश्यक रूप से प्रशिक्षित कर दिया जाए। बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा कानून, 2009 में अप्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति पर भी छूट एक निर्धारित समयावधि तक ही दी गई है।

बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा कानून, 2009 के तहत विद्यालय के सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक प्रशिक्षित हों तथा उनके नियमित रूप से उन्मुखीकरण/प्रशिक्षण की व्यवस्था हो। यह कार्य राज्य की अध्यापक शिक्षा को सुदृढ़ कर ही बेहतर रूप से किया जा सकता है।

बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा कानून, 2009 के अन्तर्गत स्थानीय निकायों को बच्चों की शिक्षा से संबंधित महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्धारित की गई है। स्थानीय निकायों के द्वारा निर्धारित जिम्मेवारी का निर्वहन बेहतर रूप से किया जाए इस हेतु इनका लगातार उन्मुखीकरण आवश्यक है और यह कार्य अध्यापक शिक्षा के माध्यम से ही बेहतर एवं संरचनात्मक ढंग से सुनिश्चित किया जा सकता है।

बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा कानून, 2009 के अन्तर्गत प्रत्येक विद्यालय के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन सुनिश्चित किया जाना है। विद्यालय प्रबंधन समिति को अपने विद्यालय के लिए विद्यालय विकास योजना का निर्माण किया जाना है जिससे विद्यालय के पोषक क्षेत्र के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित किया जा सके। विद्यालय में बेहतर विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन हो, विद्यालय प्रबंधन समिति के द्वारा बेहतर विद्यालय विकास योजना का निर्माण किया जाए इस हेतु आवश्यक है कि समुदाय एवं समुदाय के प्रतिनिधियों तथा विद्यालय प्रबंधन समिति के

सदस्यों का लगातार संस्थागत रूप से उन्मुखीकरण एवं प्रशिक्षण किया जाए। यह कार्य राज्य में अध्यापक शिक्षा की व्यवस्था को सुदृढ़ कर के ही संभव है।

बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा कानून, 2009 के अन्तर्गत वैसे बच्चे जो विद्यालय से बाहर हैं या विद्यालय आकर विद्यालय से बाहर हो गये हैं के लिए उनका उनकी उम्र–सापेक्ष कक्षा में नामांकन कराने तथा उनके उम्र–सापेक्ष दक्षता के लिए विशेष प्रशिक्षण की वयवस्था करने का प्रावधान किया गया है। विशेष प्रशिक्षण में बच्चों का बेहतर शिक्षण हो यह निर्भर करेगा शिक्षकों के प्रशिक्षण पर और यह कार्य बेहतर रूप से सुनिश्चित किया जा सकता है अध्यापक शिक्षण संस्थानों के माध्यम से।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि राज्य में बच्चों की शिक्षा को मौलिक अधिकार सुनिश्चित करने में अध्यापक शिक्षा की महत्ती भूमिका है और अध्यापक शिक्षा को बेहतर बनाये बगैर इसे सुनिश्चित किया जाना नामुमकिन ही नहीं असंभव प्रायः है। राज्य सरकार के द्वारा इसकी महत्ता को स्वीकार करते हुए इसे सुदृढ़ एवं सबल करने का प्रयास किया जा रहा है जिसका बिम्ब अध्यापक शिक्षा की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट में स्पष्ट दिखता है।

v/;kid f'k{kk dk orZeku Lo:i%

jkT; esa ljdkjh {ks= esa v/;kid f'k{kk egkfo|ky;ksa dh fLFkfr fuEuor gS&

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान–24
प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय–36
अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय–6

सरकारी क्षेत्र के संस्थानों के सुदृढ़ीकरण के साथ–साथ, राज्य की प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए राज्य सरकार के स्तर से राज्य के विश्वविद्यालयों तथा अंगीभूत महाविद्यालयों में अध्यापक शिक्षा का पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही प्राइवेट क्षेत्र में भी अध्यापक शिक्षा को बढ़ावा राज्य सरकार के स्तर से दिया जा रहा है।

वर्तमान में राज्य के 26 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों/प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों में तथा एक अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय में सेवापूर्व शिक्षक प्रशिक्षण का कार्य प्रारम्भ है एवं शेष में प्रारम्भ करने हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद में मान्यता हेतु आवेदन किया गया है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण हेतु कुल 918.00 लाख रु. की राशि राज्य योजना अन्तर्गत स्वीकृत की जा रही है जिससे 3 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना निर्माण की कार्रवाई की जाएगी।

राज्य में अध्यापक शिक्षा को बल प्रदान करने के उद्देश्य से शोध एवं प्रशिक्षण निदेशालय को सुदृढ़ किया गया है तथा उपनिदेशक स्तर के 3 तथा सहायक निदेशक स्तर के 2 कुल 5 पद सृजित किये गये है साथ ही निदेशालय के लिए 2 स्वतंत्र प्रशाखाओं का भी गठन किया गया है।

v/;kid f'k{kk dh dsUnz iks;kftr ;kstuk%

अध्यापक शिक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से अध्यापक शिक्षा की केन्द्र प्रायोजित योजना लागू है। इस योजना अन्तर्गत राज्य के प्रत्येक जिला में एक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, कम से कम प्रत्येक तीन जिला पर एक अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय तथा राज्य के अनुसूचित जाति तथा अल्पसंख्यक बाहुल्य प्रत्येक जिला में एक प्रखंड अध्यापक शिक्षा संस्थान स्थापित करने का प्रावधान किया गया है।

अध्यापक शिक्षा की केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत 12 वीं पंचवर्षीय योजना काल के लिए राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों, अध्यापक शिक्षा महाविद्यालयों तथा प्रखंड अध्यापक शिक्षा संस्थानों के वेतन, आधारभूत संरचना निर्माण, प्रशिक्षण एवं अन्य विकास कार्यों के लिए 75:25 के अनुपात में केन्द्रीय सहायता का प्रावधान है। इसके लिए शर्त यह है कि राज्य में अध्यापक शिक्षा का अलग से कैडर निर्माण कर लिया जाए।

v/;kid f'k{kk ds 2012-&13 ds y{;%

ftyk f'k{kk ,oa izf'k{k.k laLFkku dh LFkkiuk – राज्य में कुल 38 जिला है जिसमें मात्र 24 जिला मे ही जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्वीकृत है। 14 जिलों में नये जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस हेतु प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्रेषित है।

14 नये जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में से 9 जिलों यथाः अररिया, बांका, बक्सर, कैमूर, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, शेखपुरा एवं शिवहर में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना इन जिलों में संचालित प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों के उत्क्रमण से किया जाएगा। 5 जिलों यथाः अरवल, जहानाबाद, जमुई, सहरसा एवं सुपौल में नये जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जाएगी।

v/;kid f'k{kk egkfo|ky; dh LFkkiuk& राज्य के प्रत्येक तीन जिला पर एक अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना के प्रावधान के अन्तर्गत राज्य में कुल 8 नये अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। 8 नये अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना निम्नवत् करने का प्रस्ताव हैः–

1. अररिया – अररिया एवं किशनगंज जिला के लिए
2. बेगूसराय– बेगूसराय, खगड़िया तथा लखीसराय जिला के लिए
3. बक्सर– बक्सर एवं भोजपुर जिला के लिए
4. मुंगेर– मुंगेर, नवादा एवं शेखपुरा जिला के लिए
5. पटना– पटना, नालन्दा एवं अरवल जिला के लिए
6. पूर्णियां– पूर्णियां एवं कटिहार जिला के लिए
7. रोहतास– रोहतास एवं कैमूर जिला के लिए
8. प. चम्पारण– प. चम्पारण, पूर्वी चम्पारन एवं शिवहर जिला के लिए

8 नये अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना के फलसवरूप राज्य के प्रत्येक 2/3 जिला पर एक अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय की व्यवस्था हो जाएगी एवं इससे माध्यमिक शिक्षा को सुदृढ़ करने में बल मिलेगा।

i[kM v/;kid f'k{kk laLFkku dh LFkkiuk– राज्य में अनुसूचित जाति बाहुल्य एक मात्र जिला पूर्वी चम्पारण है एवं मुस्लिम बाहुल्य जिला कुल 7 अररिया, किशनगंज, पूर्णियां, कटिहार, दरभंगा, सीतामढ़ी एवं प. चम्पारण हैं। इन जिलों में एक एक प्रखंड अध्यापक शिक्षा संस्थान की स्थापना की जाएगी। 8 नये प्रखंड अध्यापक शिक्षा संस्थानों में से 4 जिलों यथाः दरभंगा, पूर्वी चम्पारण, कटिहार एवं प. चम्पारण में प्रखंड अध्यापक शिक्षा संस्थान की स्थापना पूर्व से संचालित प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों के उत्क्रमण से किया जाएगा एवं शेष 4 जिलों यथा अररिया, किशनगंज, पूर्णियां तथा सीतामढ़ी में नये प्रखंड अध्यापक शिक्षा संस्थान स्थापित किये जाएगे।

fcgkj v/;kid f'k{kk lsok laoxZ dk xBu& राज्य में अध्यापक शिक्षा को सुदृढता प्रदान करते हुए राज्य की शिक्षा व्यवस्था में गुणवतापूर्ण परिवर्तन के लिए अध्यापक शिक्षा के लिए नये संवर्ग निर्माण की कार्रवाई की गई है। इसके अन्तर्गत अध्यापक शिक्षा से संबंधित प्रत्येक संस्थान यथाः राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद, अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय तथा प्रखंड अध्यापक शिक्षा संस्थान के लिए समेकित कैडर निर्माण की परिकल्पना की गई है। इन संस्थानों में पूर्व से स्वीकृत पदों को समाप्त करते हुए शिक्षा की नई चुनातियों एवं नये परिवर्त्तनों को ध्यान में रखते हुए नये संकायों एवं नये पदो ंके सृजन का प्रस्ताव रखा गया है।

vizf'kf{kr f'k{kdksa dk izf'k{k.k& राज्य में प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी के कारण बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा कानून, 2009 के आलोक में अप्रशिक्षित शिक्षकों का नियोजन एक मजबूरी है। अप्रशिक्षित शिक्षकों को नियोजन के साथ ही प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा सके इस हेतु राज्य सरकार के स्तर से नालन्दा खुला विश्वविद्यालय, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद एवं बिहार बोर्ड खुला विद्यालय एवं परीक्षा संस्थान के माध्यम व्यवस्था की गई है। इस हेतु प्रस्ताव राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को भेजा गया है। अप्रशिक्षित शिक्षकों के प्रशिक्षण को बेहतर एवं प्रभावी बनाने हेतु World Bank एवं British Council के सहयोग का भी प्रयास किया गया है।

izko/kku & राज्य में अध्यापक शिक्षा को सुदृढ़ किया जा सके इस हेतु वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए राशि का प्रावधान निम्नवत किया गया है–

Teacher Education Plan for 2012-17							
SN	**Name of Scheme**	**2012-13**	**2013-14**	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**	**2012-17**
A	**State Share**						
1	State Share for SCERT	369.07	199.07	123.07	168.82	168.82	1028.84
2	State Share for CTEs	594.16	763.71	772.12	848.88	835.61	3814.49
3	State Share for DIETs	4463.10	3225.00	3339.00	3607.00	3039.57	17673.70
4	State Share for BITEs	384.01	209.98	228.48	273.23	248.73	1344.42
	Total State Share	**5810.30**	**4397.70**	**4462.70**	**4898.00**	**4292.72**	**23861.45**
B	Civil Works for PTECs	3101.60	1388.20	1388.20	1156.70	1388.17	8422.73
	Total of A+B	**8911.90**	**5785.90**	**5850.90**	**6054.60**	**5680.89**	**32284.18**

mPp f'k{kk

1- pk.kD; fof/k fo'ofo|ky;

15 अगस्त 2006 को स्थापित चाणक्य विधि विश्वविद्यालय, विधि की शिक्षा हेतु राष्ट्रीय स्तर के संस्थान के रूप में पहचान प्राप्त कर चुका है जिससे बिहार के छात्र अपने राज्य में ही विधि की उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त कर रहे है। विश्वविद्यालय अपने भवन/परिसर में विधिवत् स्थानांतरित हो चुका है। इस संस्थान में अब तक कुल 552 विद्यार्थियों का नामांकन हुआ है जिसमें से विगत वर्ष 2011 में 80 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए है। उत्तीर्ण विद्यार्थियों में से कम–से–कम 65% (प्रतिशत) रोजगार पा चुके है। इस संस्थान को वित्तीय वर्ष 2011–12 में ₹ 5.00 करोड़ भवन–निर्माण/स्थापना मद में स्वीकृत एवं विमुक्त किए गये है एवं द्वितीय किस्त के रूप में पुनः ₹ 5.00 करोड़ की स्वीकृति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

2- <u>pUnzxqIr izca/ku laLFkku</u>

चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, पटना की स्थापना आई0आई0एम0 की तर्ज पर प्रबंधन की उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने के लिए की गई है। सम्प्रति इस संस्थान के भवन–निर्माण की कार्रवाई प्रगति पर है। भवन–निर्माण का बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम, पटना द्वारा किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2011–12 में इस संस्थान के भवन निर्माण, स्थापना, कार्यालय व्यय एवं अन्य व्ययों के लिए ₹ 1500/– लाख़ उपलब्ध कराया गया है।

इस संस्थान में विगत 2008–10 सत्र से 2011–13 सत्र तक कुल 186 विद्यार्थी नामांकित हो चुके हैं जिसमें पूर्व के दो सत्रों के कुल 85 विद्यार्थी सफल घोषित हुए हैं। इनका प्लेसमेंट भी हो चुका है।

3. <u>fofHkUu fo'ofo|ky;ksa@egkfo|ky;ksa</u> को अधःसंरचानात्मक रूप से विकसित करने यथा चहारदीवारी का निर्माण, वर्गकक्षों का निर्माण, भवन निर्माण, प्रयोगशालाओं के फर्निसिंग, सेमिनार हॉल का निर्माण आदि के निमित वर्तमान वित्तीय वर्ष में राशि उपलब्ध करायी जा रही है।

राज्य में संचालित मौलाना मजहरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय के स्वयं के भवन निर्माण हेतु जमीन उपलब्ध करा दी गई है। शीघ्र ही भवन निर्माण की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। इस विश्वविद्यालय को वित्तीय वर्ष 2011–12 में ₹ 9,19,51,189/– मात्र स्वीकृत एवं विमुक्त किय गए है।

4. <u>fofHkUUk Hkk"kkbZ vdknfe;ksa dk lgk;rk</u>– राज्य में सम्प्रति 6 भाषाई अकादमियॉ संचालित है जहाँ विभिन्न भाषाओं के विकास के कार्य किए जाते है। इन भाषाई अकादमियों के लिए वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में ₹ 1000 लाख स्वीकृति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जो पुस्तकों के प्रकाशन हेतु राज्य सरकार का अंग है, का जीर्णोद्धार करने तथा उसमें पुस्तकालय/भवन निर्माण करने का निर्णय लिया जा चुका है। इस निमित राशि स्वीकृत करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

5. <u>vk;ZHkV Kku fo'ofo|ky;&</u> इसकी स्थापना राज्य में तकनीकी, चिकित्सा तथा अन्य व्यवसायिक शिक्षा को समुन्नत करने के उद्देश्य से की गई है। वित्तीय वर्ष

2011–12 में इस विश्वविद्यालय के लिए ₹ 10.00 लाख उपलब्ध कराया गया है। इस विश्वविद्यालय के भवन का निर्माण–कार्य बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम द्वारा शुरू कर दिया गया है।

6. ijh{kk Hkou dk fuekZ.k:– राज्य सरकार राज्य के विभिन्न जिलों के जिला मुख्यालयों में परीक्षा–भवन का निर्माण करने हेतु कृत संकल्प है। अंकनीय है कि इससे एक ही भवन में केन्द्रीकृत रूप से परीक्षाएँ संचालित की जा सकेगी तथा नियमित कक्षाएँ बन्द नहीं होगी। साथ–ही–साथ इससे प्रशासकीय सहूलियत भी होगी। इन परीक्षा भवनों में आवश्यकतानुसार अन्य कार्य भी कराए जा सकेंगे। अबतक 20 जिलों में परीक्षा भवन निर्माण हेतु राशि उपलब्ध करायी जा चुकी है।

वित्तीय वर्ष 2011–12 में 3 जिलों मधेपुरा, भभुआ तथा औरंगाबाद को इस निमित राशि उपलब्ध कराने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

8. fMxh egkfo|ky;:– राज्य के वैसे अनुमंडलों, जहाँ अंगीभूत डिग्री महाविद्यालय स्थापित नहीं है, में अंगीभूत डिग्री महाविद्यालयों की स्थापना करना सरकार का लक्ष्य रहा है। इसके साथ–साथ आवश्यकतानुसार सरकार अन्य स्थानों पर भी महिला महाविद्यालय/डिग्री महाविद्यालय स्थापित करना चाहती है। इस निमित्त कई जगह माननीय मुख्यमंत्री तथा माननीय मंत्री द्वारा आश्वासन भी दिया जा चुका है। इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2011–12 में निर्धारित उदव्यय ₹ 1000 लाख स्वीकृत करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

9. जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनीतिक शोध संस्थान, पटना के भवन निर्माण हेतु कुल ₹ 170651000 की योजना की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी है। सरकार इसका जीर्णोद्धार करना चाहती है। इस संस्थान में शोध कार्य के अलावा कई व्यवसायिक पाठ्यक्रम भी शुरू किए गए है। वित्तीय वर्ष 2011–12 में इस हेतु ₹ 500.00 लाख स्वीकृति की कार्रवाई की जा रही है।

10. ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक अध्ययन संस्थान के भवन निर्माण, इसके अन्य अधःसंरचनात्मक विकास, पुस्तकालय के लिए पुस्तकों के क्रय, फर्नीचर एवं ए0सी0 के क्रय, प्लेसमेंट सैल के सुदृढ़ीकरण, फैकल्टी डेवलपमेंट, सेमिनार, गेस्ट हाउस की मरम्मत आदि योजनाओं के लिए करीब ₹ 200.00 लाख की स्वीकृति की कार्रवाई की जा रही है।

राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त ए0एन0सिंहा सामाजिक अध्ययन संस्थान, पटना के भी विस्तारीकरण करने की योजना प्रक्रियाधीन है। इस संस्थान के लिए वित्तीय वर्ष 2011–12 में ₹ 100 लाख योजना मद से एवं ₹ 100 लाख गैरयोजना मद से स्वीकृत एंव विमुक्त किए गये है।

शिक्षा विभाग ने राज्य में 50 महाविद्यालयों को Centre of Excellence बनाने का निर्णय लिया है। जिसके लिए DPR बनाने का कार्य प्रक्रियाधीन है।

राज्य सरकार द्वारा राज्य के किशनगंज जिले में vyhx<+ eqfLye fo'ofo|ky; dh 'kk[kk [kksyus dk fu.kZ; fy;k x;k gSA इस निमित किशनगंज जिले के किशनगंज अंचल में कुल 224.02 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को निःशुल्क हस्तान्तरण किया जा चुका है।

राज्य सरकार द्वारा नालंदा खुला विश्वविद्यालय को निजी भवन में हस्तांतरित करने हेतु नालंदा जिले के मौजा बड़गॉव में भूमि चिन्हित कर ली गयी है

तथा इसके अधिग्रहण हेतु विधिवत् अधियाचना भी भेजी जा चुकी है। इस निमित ₹ 3.25 करोड़ की राशि स्वीकृत करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

राज्य में योग्य शिक्षकों की कमी को दृष्टिपथ में रखते हुए सरकार द्वारा जुलाई, 2010 के प्रभाव से राज्य के विश्वविद्यालयों के शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष की जा चुकी है।

राज्य के अंगीभूत महाविद्यालयों में शौचालय निर्माण का कार्य शुरू करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

fcgkj jkT; ikB~; iqLrd izdk'ku fuxe fyfeVsM] iVuk

निगम का मुख्य कार्य प्राईमरी, सेकेंडरी एवं विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों का सभी भाषाओं में प्रकाशन, मुद्रण, बिक्री एवं आपूर्ति करना है। निगम यह कार्य मुख्यालय सहित अन्य चार बिक्री केन्द्रों, यथा भागलपुर, पूर्णिया, गया, एवं मुजफ्फरपुर के माध्यम से करती है।

foÙkh; o"kZ 2011&2012 esa fuxe }kjk lapkfyr dh tk jgh ;kstukvksa dh HkkSfrd@foÙkh; y{; ,oa miyfC/k;k¡&

(क) loZ f'k{kk vfHk;ku dk;ZØe ds vUrxZr ikB~; iqLrdksa dh vkiwfrZ&

निगम भारत सरकार एवं बिहार सरकार के संयुक्त कार्यक्रम सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत आरम्भ से ही पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति करता रहा है। निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–2012 में वर्ग 1 से 8 तक 10.17 करोड़ पुस्तकों का सेट तैयार कर प्रखण्ड स्तर पर आपूर्ति की गयी है जिसके विरूद्ध निगम को अभी तक ₹ 180.08 लाख प्राप्त हुआ है।

(ख) lkekU; fcØh dh ikB~; iqLrdsa&

वर्ग 9 से 12 तक की पाठ्य पुस्तकें भी निगम के सभी गोदामों एवं थोक/खुदरा विक्रेताओं के पास सुलभ करायी गई है जिसमें अरबी, फारसी, मैथली, बंगला, मगही, भोजपुरी भाषाओं की पुस्तके भी सम्मिलित हैं। निगम के मुख्यालय कार्यालय स्थित खुदरा बिक्री केन्द्र में भी ये पुस्तकें उपलब्ध हैं। वर्ग 9 से 12 तक की पुस्तकों की बिक्री का लक्ष्य 50 लाख था परन्तु अभी तक 45 लाख प्रतियाँ ही बेची जा सकी है, जिससे सकल राशि ₹ 1,375.04 लाख की प्राप्ति हुई है।

(ग) vU;kU;%&

(i) निगम के मुख्यालय कार्यालय स्थित खुदरा बिक्री केन्द्र से भी कक्षा 9 से 12 तक की पाठ्य पुस्तकों के अलावा कई सरकारी प्रकाशनों की पुस्तकें, यथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी संकल्प, आदेश, निर्देश पत्र आदि से संबंधित कम्पेडियम पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है।

(ii) NCERT एवं SCERT द्वारा विकसित की गयी वर्ग 9 की सभी पुस्तकों का मुद्रण कर छात्र–छात्राओं को उपलब्ध कराया गया है। वर्ग 9 एवं 10 की NCERT की गणित एवं विज्ञान की पुस्तकें तथा वर्ग 11 एवं 12 की सभी विषयों की NCERT की पुस्तकें हिन्दी एवं अंग्रेजी संस्करण में राज्य के सभी डीपो यथा

पटना, भागलपुर, पूर्णियाँ, गया, मुजफ्फरपुर एवं सभी जिलों के अधिकृत थोक विक्रेताओं के पास पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं।

(iii) वर्ष 2011–12 में वर्ग 1 से 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तकों के आकारों, रंगों, आवरण, डिजाइनों में शैक्षिक दृष्टिकोण से आवश्यक परिवर्तन किया गया है। उदाहरणस्वरूपः–

- ➲ सभी पाठ्य पुस्तकों के आवरणों पर विषयवार एवं वर्गवार विषय वस्तुओं से संबंधित नये आकर्षक डिजाईन बनाये गये है।
- ➲ बच्चों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से आवरणों के द्वितीय पृष्ठ पर वर्गवार/उम्रवार उपयुक्त स्वास्थ्य संदेशों को अंकित कराया गया है।
- ➲ बच्चों में मानवीय मूल्यों के विकास के लिए कतिपय आवरण के द्वितीय पृष्ठ पर विभिन्न विद्वानों के अनमोल वचनों का मुद्रण कराया गया है।
- ➲ भारतीय सेना के विभिन्न पदों पर योग्यतानुसार नियोजन हेतु मार्गदर्शिका का प्रकाशन किया गया है।

(iv) राज्य के विभिन्न विभागों एवं संस्थानों की आवश्यकता के अनुसार पुस्तकों, वार्षिक प्रतिवेदन एवं प्रपत्र आदि का समयबद्ध एवं योजनाबद्ध तरीके से मुद्रण किया जाता है।

(v) अपने नियमित सामाजिक उत्तरदायित्व (Corporate Social Responsibility) के तहत वर्ग 1 से 10 तक की अप्रचलित पुस्तकें राज्य के पुस्तकालयों में निःशुल्क उपलब्ध कराने की निगम की योजना है।

2- foÙkh; o"kZ 2011&12 esa fd;s x;s lkekftd@vU; egÙoiw.kZ uhfr fo"k;d dk;Z

(i) वर्ष 2011–12 में NCF के आलोक में SCERT द्वारा विकसित वर्ग 1, 3 एवं 6 की संशोधित पुस्तकों एवं वर्ग 2, 4 एवं 7 के लिए नई पुस्तकों का प्रकाशन किया गया साथ ही कक्षा 1 से 4 तक की पुस्तकों को ए–4 साईज में तथा 5 से 8 तक की पुस्तकों को डी.सी. साईज में तैयार किया गया।

(ii) SCERT पटना द्वारा आयोजित जवाहर लाल नेहरू विज्ञान प्रदर्शनी के अन्तर्गत छात्रा–छात्राओं को पुस्तक एवं अध्ययन सामग्री के क्रय हेतु निगम द्वारा वर्ष 2011–12 में दो लाख रूपया उपलब्ध कराया गया है।

(iii) राज्य स्तरीय खेल यथा डॉ॰ शिवनारायण सिंह वॉलीबाल प्रतियोगिता/बैंडमिंटन प्रतियोगिता इत्यादि में निगम द्वारा वर्ष 2011–12 में कुल ₹ 1,25,000/– (एक लाख पच्चीस हजार रूपये) सहयोग राशि उपलब्ध कराई गयी है।

(iv) राज्य के विभिन्न निर्धन/अन्य विद्यालयी संस्थानों में समय–समय पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी गयी हैं।

Okkf"kZd ;kstuk 2012&13 ds fy, izLrkfor dk;ZØe

jkT; ;kstuk ¼izkFkfed f'k{kk½

1- f'k{kd fu;kstu vihyh; izkf/kdkj – राज्य में बड़ी संख्या में प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। विगत नियुक्तियों में बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुईं जिसका राज्य स्तर पर निराकरण संभव नहीं था। अतः जिला स्तर पर शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार का गठन किया गया।

इस योजना के लिए वार्षिक योजना 2012–13 के लिए उद्व्यय एवं बजट ₹ 600.00 लाख रखा गया है।

2- fofHkUu 'kS{kf.kd volj ksa dk vk;kstu– राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष 11–12 नवम्बर को शिक्षा दिवस एवं 22–23 मार्च को बिहार दिवस का आयोजन पूरे राज्य में किया जाता है। इसके अंतर्गत शैक्षणिक सेमिनार, कार्यशाला एवं विभिन्न शैक्षणिक अवसरों का आयोजन किया जाता है। इस में समाज के सभी वर्गों का अपेक्षित सहयोग प्राप्त होता है।

इस योजना के लिए वार्षिक योजना 2012–13 के लिए उद्व्यय एवं बजट ₹ 500.00 लाख रखा गया है।

3- fcgkj cky Hkou ds fy, vuqnku – वित्तीय वर्ष 2008–09 में बिहार बाल भवन की स्थापना बच्चों में शैक्षिक के साथ–साथ सांस्कृतिक, रचनात्मक, कलात्मक, गुणों के विकास एवं उनके चतुर्दिक विकास हेतु की गयी।

इस योजना के लिए वार्षिक योजना 2012–13 के लिए उदव्यय एवं बजट ₹ 200.00 लाख रखा गया है।

4- MkVk b.Vªh vkWijsVj gsrq ekuns;& विभाग के कम्प्यूटरीकरण के अंतर्गत संचिकाओं का कम्प्यूटरीकरण, कम्प्यूटर के माध्यम से ही संचिकाओं का निष्पादन, सभी तरह के पत्रों एवं प्रतिवेदनों को तैयार करने तथा कार्यो के त्वरित निष्पादन हेतु विभाग में डाटा इण्ट्री ऑपरेटरों को अनुबंध पर रखा गया है।

इस योजना के लिए वार्षिक योजना 2012–13 के लिए उदव्यय एवं बजट ₹ 66.68 लाख रखा गया है।

5- dsUnzh;d`r eksuhVfjax&lg&MkVk lsUVj& विगत वर्षों में राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक कार्य किये गये हैं। इन कार्यों की गति को और अधिक बढ़ाने के लिए विशेषज्ञ सहायता की आवश्यकता हो गयी है। इसके लिए केन्द्रीयकृत मॉनीटरिंग–सह–डाटा सेंटर की स्थापना की गयी है। इसके द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के अनुश्रवण के साथ–साथ उससे संबंधित डाटा/प्रतिवेदन जिलों से प्राप्त किया जाता है तथा उसका समेकन एवं विश्लेषण कर कार्यक्रम से संबंधित स्पष्ट स्थिति विभाग को उपलब्ध कराया जाता है। विभाग इस प्रतिवेदन के आधार पर कार्यक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेती है।

इस योजना के लिए वार्षिक योजना 2012–13 के लिए उद्व्यय एवं बजट ₹ 480.00 लाख रखा गया है।

6- e/;kgu Hkkstu ;kstuk dk vuqJo.k – इस योजना का प्रारम्भ प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण एवं नामांकन वृद्धि तथा बच्चों को पोषक तत्व उपलब्ध कराने हेतु किया गया। इस योजना के अन्तर्गत राज्य के सभी विद्यालयों (सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, मदरसा बोर्ड/संस्कृत बोर्ड से सहायता प्राप्त विद्यालय, शिक्षा गारंटी केन्द्र, वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा केन्द्रों सहित) में अध्ययनरत वर्ग I-VIII के बच्चों

को पका–पकाया भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना के गहन अनुश्रवण की नितान्त आवश्यकता है।

वित्तीय वर्ष 2012–13 में मध्याह्न भोजन योजना के अनुश्रवण हेतु राज्य योजना मद में ₹ 100.00 लाख रखा गया है।

7- vkStkj ;kstuk– बिहार में मुस्लिम लड़कियों को हुनर कार्यक्रम के अन्तर्गत NIOS के सहयोग से व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया गया है। उन्हें दिये गये प्रशिक्षण का मूल्यांकन करा लिया गया है एवं सफल छात्राओं को सीखे गये हुनर के आधार पर व्यावसायिक कार्य प्रारंभ कराने के लिए ''औजार'' योजना प्रारंभ है। इस योजना के अन्तर्गत टूल कीट सेट (Tool Kit Set) दिया जाता है। टूल कीट सेट (Tool Kit Set) खरीदने हेतु प्रत्येक लड़कियों को ₹ 2500/– उपलब्ध कराया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2012–13 मे औजार योजनाा हेतु राज्य योजना मद में ₹ 600. 00 लाख रखा गया है।

8- eq[;ea=h iks'kkd ;kstuk– इस योजना अंतर्गत पूर्व से ही वर्ग– 3 से 5 में नामांकित छात्र/छात्राओं को दो सेट पोशाक एवं स्टेशनरी क्रय हेतु प्रतिवर्ष ₹ 500/– विद्यालय शिक्षा समिति के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है।

इस हेतु वित्तीय वर्ष 2012–13 में छात्र–छात्राओं को पोशाक उपलब्ध कराने हेतु कुल ₹ 0.01 लाख का प्रावधान किया गया है।

9- eq[;ea=h ckfydk iks'kkd ;kstuk– इस योजना अंतर्गत पूर्व से ही वर्ग– 6 से 8 में नामांकित छात्राओं को दो सेट पोशाक एवं स्टेशनरी क्रय हेतु प्रतिवर्ष ₹ 700/– विद्यालय शिक्षा समिति के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है।

इस हेतु वित्तीय वर्ष 2012–13 में छात्र–छात्राओं को पोशाक उपलब्ध कराने हेतु कुल ₹ 0.01 लाख का प्रावधान किया गया है।

10- eq[;ea=h ifjHkze.k ;kstuk– राज्य सरकार के द्वारा बच्चों को राज्य के ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक धरोहरो से अवगत कराने एवं शैक्षिक ज्ञान प्राप्त करने हेतु प्रत्येक वर्ष प्रति विद्यालय ₹ 10000/– की राशि उपलब्ध करायी जाती है। इस योजना का बच्चों पर बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिला है।

वित्तीय वर्ष 2012–13 में परिभ्रमण हेतु राशि उपलब्ध कराने के लिए कुल ₹ 2000.00 लाख का प्रावधान किया गया

11- egknfyr leqnk; ds cPpksa ds fy, mRFkku dsUnz– यह एक राज्य संपोषित योजना है जिसके अंतर्गत सामाजिक एवं शैक्षिक स्तर पर पिछड़े महादलित समुदाय के 6 से 10 आयु वर्ग के बच्चों को उत्थान केन्द्रों पर वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा के माध्यम से शिक्षित कर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाता है।

वित्तीय वर्ष 2012–13 में इस योजना के संचालन हेतु कुल राशि ₹ 17141.64 लाख का प्रावधान किया गया है।

12- eq[;ea=h lk{kjrk ;kstuk– इस योजना अंतर्गत 15 एवं 15 वर्ष से उपर के असाक्षर शहरी लोगो के लिए कार्यक्रम तैयार किया गया है। पूर्व से इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए साक्षर भारत योजना चल रही है। प्रयोग के तौर पर लोक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना एवं जेल में बंद कैदियों को साक्षर करने हेतु प्रेरणा कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2012–13 में उक्त योजना हेतु कुल ₹ 1500.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

13-f'k{kk dk vf/kdkj:– शिक्षा का अधिकार कानून (2010) के अनुपालन में प्रारम्भिक समस्याओं के बाद निजी विद्यालयों की 25% सीटों पर अभिवंचित वर्ग के बच्चों का नामांकन कराया जाने लगा है।

वित्तीय वर्ष 2012–13 में कुल ₹ 525.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

dsUnh; izk;ksftr ;kstuk

1. e/;kgu Hkkstu ;kstuk& इस योजना का प्रारम्भ प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण एवं नामांकन वृद्धि तथा बच्चों को पोषक तत्व उपलब्ध कराने हेतु किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य के सभी विद्यालयों (सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, मदरसा बोर्ड/संस्कृत बोर्ड से सहायता प्राप्त विद्यालय, शिक्षा गारंटी केन्द्र, वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा केन्द्रों सहित) में अध्ययनरत वर्ग I-VIII के बच्चों को पका–पकाया भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्तमान में राज्य के सभी जिले इस योजना से आच्छादित है।

   वित्तीय वर्ष 2012–12 मे मध्याह्न भोजन योजना हेतु राज्य योजना मद में ₹ 30482.16 लाख का प्रावधान किया गया है।

2. lo f'k{kk vfHk;ku– प्रारंभिक शिक्षा (I-VIII) के सर्वव्यापीकरण के उद्देश्य की पूर्ति हेतु वर्ष 2001–02 में सर्व शिक्षा अभियान योजना एक केन्द्र प्रायोजित योजना के रुप में प्रारम्भ की गयी है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में इस योजना के लिए केन्द्र एवं राज्य की हिस्सेदारी 75:25 था लेकिन 11 वीं पंचवर्षीय योजना में केन्द्र एवं राज्य की हिस्सेदारी 55:45 हो गया है। वर्त्तमान में केन्द्र एवं राज्य की हिस्सेदारी 65:35 है। यह योजना राज्य के सभी जिलों में लागू है।

   वर्ष 2001–02 की तुलना में सकल नामांकन अनुपात 74 प्रतिशत से बढ़कर 96.23 प्रतिशत हो गया है। वर्ग 1 से 5 का छीजन दर 52 प्रतिशत से घटकर 12.20 प्रतिशत हो गया है। इस योजना के संचालन के पूर्व विद्यालय से बाहर बच्चों की संख्या अत्यधिक थी, जो घटकर अब लगभग साढ़े तीन लाख रह गयी है।

   वार्षिक योजना 2012–13 के लिए सर्व शिक्षा अभियान के लिए ₹ 120000.00 लाख सर्व शिक्षा अभियान (TFC) हेतु ₹ 81800.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

3. lk{kj Hkkjr ;kstuk- भारत सरकार की इस योजना अंतर्गत 15 से 35 आयु वर्ग के निरक्षर लोगों (विशेष कर महिलाओं) को साक्षर करने हेतु यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

   वार्षिक योजना 2012–13 के लिए ₹ 3000.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

izLrkfor okf"kZd ;kstuk 2012&13

Øekad	;kstuk dk uke	₹ ¼yk[k esa½
1	शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार	600.00
2	विभिन्न शैक्षणिक अवसरों का आयोजन	500.00
3	बिहार बाल भवन के लिए अनुदान	200.00
4	डाटा इण्ट्री ऑपरेटरों के मानदेय के लिए	66.68
5	सी0एम0डी0 सेंटर	480.00
6	मध्याह्न भोजन योजना का अनुश्रवण	100.00

7	औजार योजना	600.00
8	मुख्यमंत्री पोशाक योजना	0.01
9	मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना	0.01
10	मुख्यमंत्री परिभ्रमण योजना	2000.00
11	महादलितों के लिए उत्थान केन्द्र	17141.64
12	मुख्यमंत्री साक्षरता योजना	1500.00
13	शिक्षा का अधिकार	525.00
	dUnh; ik;kftr ;kstuk ¼jkT;'k½	
1	मध्याह्न भोजन योजना	30482.16
2	सर्व शिक्षा अभियान (राज्यांश)	120000.00
3	सर्व शिक्षा अभियान (TFC)	81800.00
4	साक्षर भारत योजना (राज्यांश)	3000.00
	dy	**258995.50**

Ekk/;fed f'k{kk

सर्व शिक्षा अभियान की सफलता के साथ ही माध्यमिक शिक्षा में गुणात्मक विकास एवं संख्यात्मक वृद्धि की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इसके साथ ही नामांकन दर में वृद्धि एवं छीजन दर में कमी आयेगी। परिणाम स्वरूप माध्यमिक शिक्षा में आधारभूत संरचना की अत्यधिक आवश्यकता महसूस की जा रही है। आर्थिक उदारवाद एवं विश्वव्यापीकरण के दौर में कुशल व्यवस्थापक, अधिकारी एवं व्यापारी की आवश्यकता महसूस की जा रही है। माध्यमिक शिक्षा ही एक ऐसा स्रोत है जहाँ से निकले छात्रों से इसकी पूर्ति की जा सकती है।

o"kZ 2012&13 dh j.kuhfr

- 2022 तक माध्यमिक शिक्षा का सर्वव्यापीकरण।
- मध्य विद्यालयों का उच्च विद्यालय में उत्क्रमण।
- पाँच किलों मीटर के दायरे में नये माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना।
- माध्यमिक शिक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण।
- 1:40 का माप दंड प्राप्त करने हेतु अतिरक्त शिक्षकों की नियुक्ति।
- विकलांग बच्चों के लिए बाधारहित शिक्षा उपलब्ध कराना–बिना किसी सामाजिक, आर्थिक भेद–भाव के।

1- vfrfjDr oxZ d{k fuekZ.k@jkT;dh;@jkt dh;d`r fo|ky;ksa dk mRØe.k :–

माध्यमिक शिक्षा के सुदृढीकरण हेतु माध्यमिक विद्यालयों में आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त वर्ग कक्षों के निर्माण साथ ही उन विद्यालयों में पेयजल, शौचालय, पुस्तकालय, कम्प्यूटर–कक्ष कॉमन–रूम इत्यादि का निर्माण कराया गया है/कराया जा रहा है।

वार्षिक योजना 2012–13 के लिए ₹ 17500.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

2- Nk=ksa dk 'k{kf.kd ifjHkze.k :–

छात्रों में परिदर्शन के माध्यम से शिक्षा के प्रति जागरूकता प्रकट करने के उद्देश्य से इस योजना का संचालन किया जा रहा है।

वार्षिक योजना 2012–13 के लिए ₹ 300.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

3- <u>f’k{kk Hkou dk fuek.k</u> :–

प्रमण्डल एवं जिला स्तर पर शिक्षा विभाग के बहुत सारे कार्यालय या तो विद्यालय में चलाये जा रहे है अथवा किराये पर चल रहे है। इन जगहों पर शिक्षा विभाग का एक केन्द्रीयकृत कार्यालय हो इसके लिए यह योजना है।

वार्षिक योजना 2012–13 में ₹ 500.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

4- <u>flerYyk vokl h; fo|ky; dk Hkou fuek.k</u> :–

बिहार सरकार ने जमुई जिले के सिमुतल्ला में एक आवासीय विद्यालय की स्थापना की है जिसमें विगत दो सत्रों में 60 लड़के एवं 60 लड़कियों का नामांकन हो चुका है। इस विद्यालय के भवन निर्माण हेतु कार्रवाई चल रही है।

वार्षिक योजना 2012–13 में ₹ 500.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

5- <u>0;olkf;d f’k{kk dk ln<hdj.k</u>:–

रोजगारोन्मुख शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु व्यवसायिक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा हैं।

वार्षिक योजना 2012–13 मे ₹ 25.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

6- <u>0;olkf;d f’k{kk] Nk=ofr ,o Nk=kokl gr lklkbVh dk vunku</u> :–

इस कार्य के लिए वित्तीय वर्ष 2012–13 में कुल ₹ 500.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

7- <u>fo|ky;k di fy, tehu dk vf/kxg.k</u> :–

इस कार्य के लिए वित्तीय वर्ष 2012–13 में कुल ₹ 1500.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

8- <u>e[;e=h ckyd lkbfdy ;ktuk</u>:–

इस योजना के अन्तर्गत कक्षा 9 में पढ़ने वाले सभी छात्रों को साईकिल क्रय करने हेतु ₹ 2500/– प्रदान की जा रही है। वार्षिक योजना 2012–13 में इस हेतु ₹ 18008.10 लाख का प्रावधान किया गया है।

9- <u>e[;e=h ckfydk lkbfdy ;ktuk</u> :–

इस योजना के अन्तर्गत कक्षा 9 में पढ़ने वाली सभी छात्राओं को साईकिल क्रय करने हेतु ₹ 2500/– प्रदान किया जाता है।

इसके लिए वार्षिक योजना 2012–13 में इस हेतु ₹ 20597.50 लाख का प्रावधान किया गया है।

10-<u>e[;e=h ’krkCnh ckfydk ik’kkd ;ktuk</u> :–

इस योजना के अंतर्गत 11वीं एवं 12वीं वर्ग कक्ष की छात्राओं को पोशाक के क्रय हेतु प्रति छात्रा ₹ 1000/– की दर से राशि उपलब्ध करायी जाती है।

वार्षिक योजना 2012–13 में इस हेतु ₹ 0.01 लाख का प्रावधान किया गया है।

11-e|[;e=h ikRlkgu ;ktuk :–

यह एक राज्य संपोषित योजना है। इस योजना अंतर्गत वैसी सभी छात्राएं को, जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित 10वीं की बोर्ड परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हो 11वीं में नामांकन कराती है, ₹ 10,000/– प्रति छात्रा की दर से प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करायी जाती है।

वार्षिक योजना 2012–13 में इस हेतु ₹ 4500.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

dUn ik;kftr ;ktuk

1- ek/;fed fo|ky;ka e dEI;Vj f'k{kk **(I.C.T@ Schools)** :–

माध्यमिक विद्यालय में कम्प्यूटर शिक्षा के तहत सभी छात्रों को कम्प्यूटर की शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केन्द्र प्रयोजित योजना के तहत 1000 माध्यमिक विद्यालयों को कम्प्यूटर एवं कम्प्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है।

वार्षिक योजना 2012–13 में इस हेतु ₹ 300.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

2- ekMy Ldy :–

इस केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत राज्य के सभी जिलों में आर्थिक रूप से पिछडे प्रखंडों में केन्द्रीय विद्यालय/नवोदय विद्यालय की तर्ज पर मॉडल स्कूल खोलने की योजना है।

वार्षिक योजना 2012–13 में इस हेतु ₹ 2500.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

3- ckfydk Nk=kokl fuek.k :–

इस केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत प्रत्येक प्रखंड में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु बालिका छात्रावास के निर्माण की योजना है।

वार्षिक योजना 2012–13 में इस हेतु ₹ 2500.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

4- jk"Vh; ek/;fed f'k{kk vfHk;ku :–

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत माध्यमिक शिक्षा का सर्वव्यापीकरण मुख्य उद्देश्य है। 5 कि0 मी0 की परिधि में उच्च विद्यालय एवं 8 कि0 मी0 की परिधि में उच्च माध्यमिक विद्यालय की सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है।

इसके लिए राज्य के मध्य विद्यालयों को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करने एवं माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित करने की योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि 14–18 आयु वर्ग के छात्रों को माध्यमिक स्तर की गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा उपलब्ध हो सके।

वार्षिक योजना 2012–13 में इस हेतु ₹ 20549.97 लाख का प्रावधान किया गया है।

5- vkbZ0bZ0Mh0,l0,l0 :–

इस योजना के अंतर्गत विकलांग छात्रों को विशेष समन्वित शिक्षा से आच्छादित किया जायगा।

वार्षिक योजना 2012–13 में इस हेतु ₹ 50.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

iLrkfor okf"kd ;kstuk 2012&13

Ekk/;fed f'k{kk		
Øekd	;kstuk dk uke	₹ ¼yk[k e½
1	राजकीय /राजकीयकृत माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों का सुदृढ़ीकरण	17500.00
2	छात्रों का शैक्षणिक भ्रमण	300.00
3	शिक्षा भवन का निर्माण	500.00
4	सिमुतल्ला अवासीय विद्यालय का भवन निर्माण	500.00
5	व्यवसायिक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण	25.00
6	व्यवसायिक शिक्षा, छात्रवृति एवं छात्रावास हेतु सोसाईटी	500.00
7	विद्यालयों के लिए जमीन का अधिग्रहण	1500.00
8	मुख्यमंत्री बालक साइकिल योजना	18008.10
9	मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना	20597.50
10	मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना	0.01
11	मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना	4500.00
dUnh; ik;kftr ;kstuk		
1	माध्यमिक विद्यलयों में कम्प्यूटर शिक्षा (I.C.T@ Schools)	300.00
2	मॉडल स्कूल की स्थापना	2500.00
3	बालिका छात्रावास निर्माण	2500.00
4	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	20549.97
5	आई0ई0डी0एस0एस0	50.00
	;kx	**89830.58**

'kk/k ,o if'k{k.k

1- 'kk/k ,o if'k{k.k funs'kky;%&

शिक्षा का अधिकार कानून के लागू होने के उपरांत राज्य में शिक्षकों की बड़ी संख्या में आवश्यकता है। परंतु राज्य में प्रशिक्षित शिक्षकों की भारी कमी है। इसलिए राज्य में पूर्व से स्थापित शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों को चालू करने एवं अन्य प्रशिक्षण महाविद्यालयों से प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से यह निदेशालय अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है।

वार्षिक योजना 2012–13 में इस हेतु ₹ 8000.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

2- iLrdky; dk vunku%&

राज्य में पूर्व से उपलब्ध राजकीय/जिला पुस्तकालय के सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता हैं।

वार्षिक योजना 2012–13 में इस हेतु ₹ 500.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

iLrkfor okf"kd ;kstuk 2012&13

¼’kk/k ,o if’k{k.k½

Øekd	;kstuk dk uke	jkf’k ¼yk[k e½
1	शोध एंव प्रशिक्षण निदेशालय	8000.00
2	पुस्तकालय को अनुदान	500.00
	;kx	8500-00

mPp f’k{kk

foÙkh; o"k 2012&13 e iLrkfor dk;Øe

1- pk.kD; fof/k fo’ofo|ky;%& चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना 2006 में की गई। इस संस्थान को उन्नत बनाने हेतु अभी कुछ और कार्य करने की योजना है।

वार्षिक योजना 2012–13 में ₹ 300.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

2- pUnxqIr izc/ku lLFkku%& चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, पटना को सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है।

वार्षिक योजना 2012–13 में ₹ 1500.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

3- jkT; d fo’ofo|ky;k dk fodkl%& राज्य के विश्वविद्यालयों के विकास एवं राजकीय महाविद्यालयों के सुदृढ़ीकरण एवं इनमें गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने की राज्य सरकार की योजना है।

वार्षिक योजना 2012–13 में ₹ 3000.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

4- Hkk"kkbZ vdkneh%& राज्य के विभिन्न भाषाई अकादमियों को सुदृढ़ एवं शोधपरक बनाने की योजना है।

वार्षिक योजना 2012–13 में ₹ 1000.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

5- vk;Hkê Kku fo’ofo|ky;%& राज्य की सभी तकनीकी शिक्षा को एकीकृत करते हुए उसके विकास हेतु सभी महाविद्यालयों को आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय से संबद्ध किया गया है। सभी संस्थानों का एक कैलेण्डर निर्धारित किया गया है।

वार्षिक योजना 2012–13 में ₹ 2000.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

6- ijh{kk Hkou dk fuek.k%& राज्य के सभी प्रमंडलीय मुख्यालयों में परीक्षा भवन के निर्माण का निर्णय लिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2012–13 में इस योजना के कार्यान्वयन हेतु रू0 ₹ 500.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

7- ,0,u0 flgk lkekftd v/;;u lLFkku– विभिन्न योजनाओं का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करने तथा शोध एवं सर्वेक्षण कार्य करने हेतु ए0एन0 सिंहा सामाजिक अध्ययन संस्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है।

वित्तीय वर्ष 2012–13 में इस हेतु रू0 ₹ 100.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

8- fMxh dkyst:– राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रत्येक अनुमंडल में कम से कम से एक डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाय।

वार्षिक योजना 2012–13 में इस योजना के कार्यान्वयन हेतु ₹ 500.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

9- txthou jke lqnh; v/;;u lLFkku:– इस संस्थान हेतु वार्षिक योजना 2012–13 में ₹ 100.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

10-,y0,u0feJk lkekftd ,oa vkfFkd v/;;u lLFkku%& इस संस्थान के सुदृढीकरण हेतु वार्षिक योजना 2012–13 में ₹ 500.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

11-jkt dh; efgyk egkfo|ky;] xyt kjckx%& इस संस्थान को सरकार उत्कृष्टता का केन्द्र (center of excellence) के रूप में विकसित करने हेतु कृतसंकल्पित है। राजकीय महिला महाविद्यालय, गुलजारबाग के भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध हो चुकी है।

वार्षिक योजना 2012–13 में ₹ 100.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

12-jkt dh; efgyk egkfo|ky;] xnuhckx:– इस संस्थान में को भी उत्कृष्टता का केन्द्र (center of excellence) के रूप में तब्दील करने हेतु सरकार कृत संकल्पित है। इसके विभिन्न आयामों को समुन्नत करने तथा इसके जीर्णोद्धार के लिए कार्रवाई की जा रही है। है।

वार्षिक योजना 2012–13 में ₹ 100.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

iLrkfor okf"kd ;kstuk 2012&13

Øekd	;kstuk dk uke	jkf'k ¼yk[k e½
1	चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय	300.00
2	चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान	1500.00
3	विश्वविद्यालयों को विकास सहायता	3000.00
4	विभिन्न अकादमियों को सहायता	1000.00
5	"आर्यभट्ठ प्रोफेशनल यूनिवर्सिट" की स्थापना	2000.00
6	परीक्षा भवन का निर्माण	500.00
7	ए0एन0 सिंहा सामाजिक अध्ययन संस्थान	100.00
8	डिग्री कॉलेज	500.00
9	जगजीवन राम संसदीय अध्ययन संस्थान	100.00
10	एल0एन0 मिश्रा सामाजिक एवं आर्थिक अध्ययन संस्थान	500.00
11	राजकीय महिला महाविद्यालय, गुलजारबाग	100.00
12	राजकीय महिला महाविद्यालय, गर्दनीबाग	100.00
	dy ;kx	**9700.00**

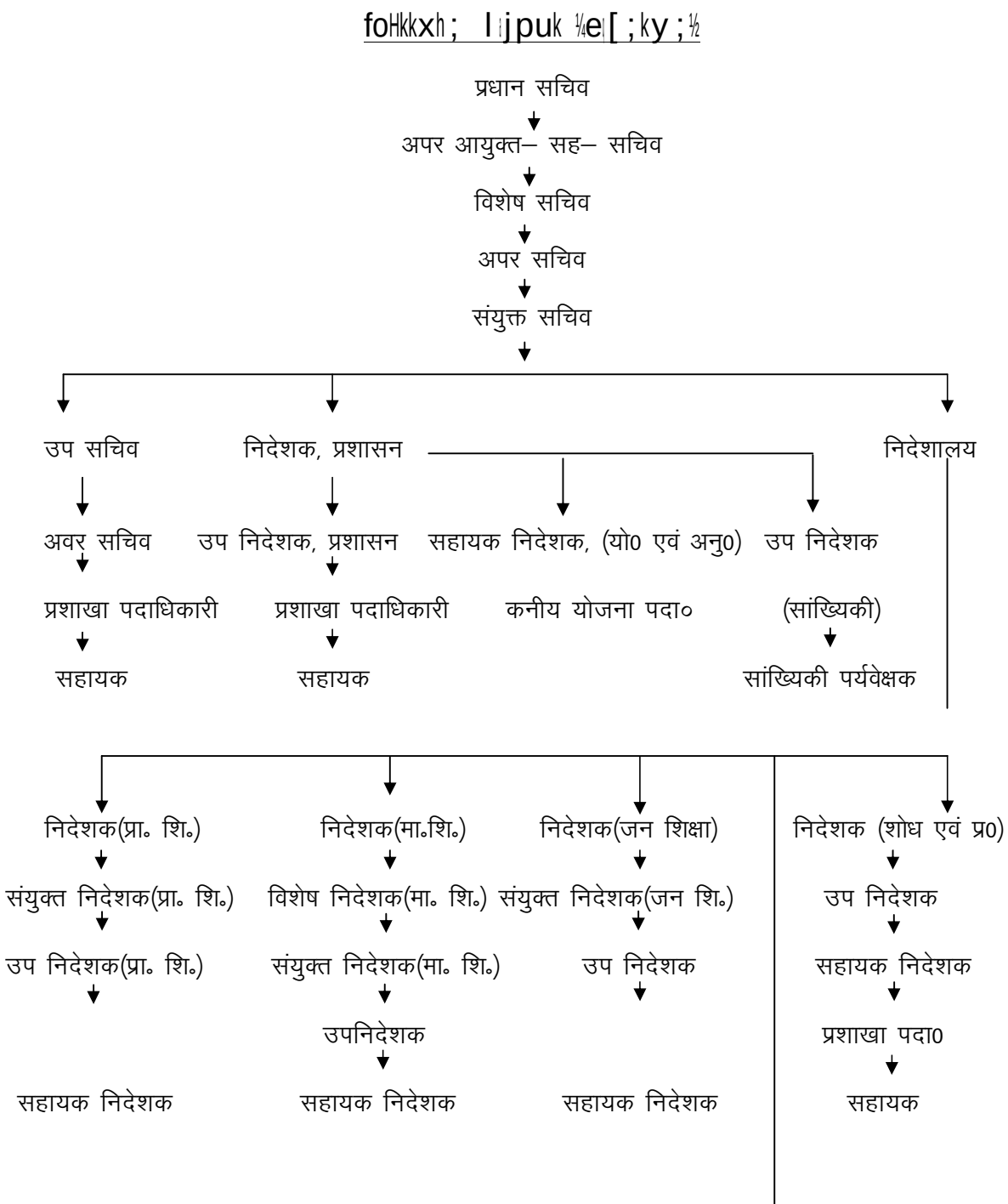

foHkkxh; lajpuk ¼eq[;ky;½

प्रशाखा पदाधिकारी ↓ सहायक

प्रशाखा पदाधिकारी ↓ सहायक

प्रशाखा पदाधिकारी ↓ सहायक

निदेशक (उच्च शिक्षा)

↓

उप निदेशक

↓

प्रशाखा पदाधिकारी

↓

सहायक

{k=h; Lrj ij lajpuk

क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक

↓

जिला शिक्षा पदाधिकारी

↓

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी

↓

कार्यक्रम पदाधिकारी

↓

प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी